GOVERNMENT EKLAVYA COLLEGE, DONDI LOHARA
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय

AFFILIATED TO HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG, C.G.

AISHE CODE: C-21706 Phone No. 07748-299010 Email id : govtcollegelohara@gmail.com, principal@gecdl.in

सत्यमेव जयते

Date: 14.1.2022

Ref.: DVV clarification for Extended Profile: 1.2

Sub.: Response to DVV clarification for Extended Profile: 1.2

Government Eklavya College Dondi Lohara hereby submit, year wise details of the program offered in prospectus for academic session: 2016-17, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020,2020-2021.

Principal, Govt.Eklavya College, Dondi Lohara

Principal
Govt.Eklavya Collage
DondiLohara,Distt.Balod(C.G.)

GOVERNMENT EKLAVYA COLLEGE

शासकीय एकलव्य महाविद्यालय

Dondi-Lohara, Dalli Rajhara Road, District:Balod, Chhattisgarh, India, PIN:491771

Affiliation: Hemchand Yadav University, Durg, Chhattisgarh, India

PROSPECTUS

Academic Session : 2016-17

Email: govtcollegelohara@gmail.com

Landline: +91 07748264001

प्राचार्य का संदेश .....

मानव संसाधन के विकास और कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा की उपलब्धता आवश्यक हैं। इसके बिना भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और दोहन संभव नहीं हैं। सुदूर आदिवासी अंचलों तथा दुरम्य वन क्षेत्रों उच्च शिक्षा का दीप प्रज्वलित हो रहा है। हमारी यह यात्रा अनवरत जारी है। यह शिक्षण संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है। हमारी ऑखों में भविष्य का एक विराट स्वप्न झिलमिला रहा है। यह शिक्षण संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत हैं।

हमारा लक्ष्य –

01. उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं तक पहुंचाना।
02. आदिवासी बाहुल्य दरुम्य क्षेत्र के लिए भी उच्च शिक्षा सहज सुलभ हो इसके लिए सक्रिय प्रयास करना।
03. विभिन्न सामाजिक वर्ग, आयु, लिंग, भाशा, धर्म, क्षेत्रियता से परे सबको उच्च शिक्षा के सामान अवसर प्रदान करना।
04. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का लक्ष्य निर्धारित करना।
05. जिम्मेदार नागरिक बनाना।

प्राचार्य
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा
जिला–बालोद (छ.ग.)

...महाविद्यालय का इतिहास...

शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौंडी लोहारा की स्थापना वर्ष जुलाई 2006 से की गई है। यह महाविद्यालय राजनांदगांव से दल्लीराजहरा रोड पर 35 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। महाविद्यालय में तीन संकाय है कला, वाणिज्य एवं विज्ञान (बॉयो, माइक्रो बॉयोलाजी व गणित) में स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए. राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास व हिन्दी साहित्य विषय पर अध्ययन की व्यवस्था है। यह महाविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्याल, दुर्ग से संबंध है।

महाविद्यालय में खेल मैदान एवं महाविद्यालय स्वयं का भवन निर्मित है। शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक ईकाई संचालित है।

लक्ष्य एवं उद्देश्यः—

1. छात्र—छात्राओं को सहज एवं कम खर्च में अच्छी शिक्षा प्रदान करना।
2. विद्यार्थियों की लेखन शैली का विकास करना।
3. विद्यार्थियों में लिखित एवं मौखिक सम्प्रेषण कला का विकास करना।
4. महाविद्यालय में विद्यार्थियों को सामाजिक, नैतिक एवं सृजनात्मक गुणों का विकास करना।
5. रोजगार उपलब्ध कराना।
6. सामाजिक समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बनाना।
7. विद्यार्थियों में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों के प्रति विशेष जोर देना।
8. ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा प्रदान करना।

डॉ. आर.के. जैन
प्राचार्य
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डी—लोहारा
जिला—बालोद, छत्तीसगढ़

महाविद्यालय में उपलब्ध उपलब्ध पाठ्कम एवं निर्धारित स्थान महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्कम एवं विषय

क्र.	पाठ्कम	विषय
विज्ञान संकाय		
1.	बी.एस.सी. – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
		विषय समूह – रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान
2.	बी.एस.सी. – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
		विषय समूह – रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान
3.	बी.एस.सी. – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
		विषय समूह – रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान
वाणिज्य संकाय		
1.	बी.कॉम – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
		अन्य सभी अनिवार्य विषय
2.	बी.कॉम – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
		अन्य सभी अनिवार्य विषय
3.	बी.कॉम – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
		अन्य सभी अनिवार्य विषय
कला संकाय		
1.	बी.ए. – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
		ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल
2.	बी.ए. – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
		ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल
3.	बी.ए. – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
		ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल
4.	एम.ए.पूर्ण एवं अंतिम	हिन्दी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशस्त्र

महाविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान–

क्र.	कक्षा	उपलब्ध स्थान
1.	बी.कॉम. प्रथम वर्ष	60
2.	बी.ए. प्रथम वर्ष	200
3.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (माइक्रोबायोलाजी – बायो.)	100 (30 माइक्रो–70 बायो.)
4.	एम.ए.पूर्ण अर्थशास्त्र	30
5.	एम.ए.पूर्ण हिन्दी	30
6.	एम.ए.पूर्ण – इतिहास	30
7.	एम.ए.पूर्ण – राजनीति विज्ञान	30

प्रवेश के संबंध में सामान्य दिशा निर्देशः–

1. प्रवेश के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका के नियम लागू होंगे तथा इन नियमों में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन/संशोधन भी लागू होगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों जमा करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा यह सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जावेगी।
3. महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी शासन द्वारा जारी निर्देश प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर ही लागू होगा।
4. किसी भी स्थिति में मूल स्थानांतरण प्रणाम पत्र (टी.सी) के बिना प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
5. प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रवेश लेते समय कक्षा 10वीं से लेकर प्रवेश प्राप्त करने वाली कक्षा के पूर्व कक्षा तक कक्षाओ के प्रमाणित अंक सूचियो एवं चरित्र प्रमाण पत्र व टी.सी. के के साथ दो पासपोर्ट आकार फोटो जमा करना होगा।
6. अन्य विश्वविद्यालय के प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रकरण पर छात्रों को स्थान रिक्त होने पर विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लाने के पश्चात ही प्रवेश पर विचार किया जा सकेगा।
7. अंतिम तिथि के पश्चात सीट रिक्त होने पर/अगली सूची होने के पूर्व 100/- विलब शुल्क छात्र/छात्राओं को देय होगा।
8. प्रवेश प्राप्ति के उपरांत नये छात्रो को विश्वविद्यालय का नामांकन पत्र अनिवार्य रूप से भरकर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा छात्रों का नियमित प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अमान्य किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय में प्रवेशित नये छात्रो को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने के लिए 75% की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
10. महाविद्यालय में मोबाईल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
11. विद्यार्थी अपना परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राध्यापकों को अवलोकन करावें।
12. छात्रवृत्ति चाहने वाले छात्र सूचना पटल मे प्रदर्शित की अंतिम तिथि के पूर्व अपनी सभी औपचारिकताये पूर्ण कर आवेदन जमा करे।
13. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः पतिबंधित है, रैगिंग में संलग्न पाये गये छात्रों पर निम्नानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। जिसमें सजा एवं महाविद्यालय से निष्काशीत भी किया जा सकता है।
14. महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही छात्र/छात्राओं एवं पाल्य को रैकिंग में संलग्न नहीं होने संबंधी शपथ पत्र नोटरी कराकर जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्तिः–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश कमांक–6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपटित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करनाः–

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अस्थाई प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित, निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओ में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में, पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा इसे प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करनाः–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परीणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये। किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदन ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्याय में नियमानुसार किसी में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा।

आवेदक ''ख'' में स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायो के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जावेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा ''उच्चशिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिनियम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावें। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समुह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समुह का निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची:–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण–पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र ''प्रवेश दिया गया'' रदद् की मोहर लगाकर उसे रदद् करना चाहियें।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण–प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायें।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नही दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो। प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से भी वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र–छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षाः–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मिर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेशः–

(क) 10+2 परीक्षा आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगाा। बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ख) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेशः–

(क) बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/बी0ए0 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एम0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/एम0ए0पूर्व0/प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी0एस0सी0 उत्तीर्ण आवेदकों को एम0एस0–सी/ एम0ए0पूर्व0 में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर नियमित प्रवेश की पात्रता होगीं।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए0टी0के0टी0 **(Allowed to keep Term)** नियमः–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए0टी0के0टी0 **(Allowed to keep Term)** नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेशः–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर एवं एल0एल0एम0 प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर एवं एल0एल0एम0 द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सेमेस्टर में भी चालू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमाः–

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 %) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55% अंक पाप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षाः–

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) इंडियन कौन्सिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय का संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (**IGNU** को छोड़कर) जो दूरदर्शी पाठ्यकम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नही है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं. जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कों

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेशः–

7.1 स्नातक स्तर तक बी0ए0/बी0कॉम0/बी0एस0सी0/बी0एच0एस.–सी0 में एकीकृत पाठ्यकम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु, सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समुहों में आवेदकों नें पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावें। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जायें।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाद्यिालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाद्यिालयों से स्नातकोत्तर पूर्व कह परीक्षा या प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वि"ायों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य कि बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंजो का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं प्रायोगिक विशयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाद्यिालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धरित भाुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थाई प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अस्थाई प्रवेश लेना अनिवार्य होनाः–

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में पूरक परीक्षा(कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटीकेटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएंः–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं को उसी संकाय की उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेग, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा भापथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मेंउसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही निम्नानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो न्यायालय में अपारधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नश्ट करने वाले/रैगिंग के आरोप छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकश्त है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं रिपोर्ठ के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जायें।

ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी भाासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावें।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमाः–

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्श में 22 वर्श स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्श में 27 वर्श से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदक आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों विदेश सरकार द्वारा अनुसंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कष्ट महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर प्रथम वर्ष पर 25 एवं स्नातकोत्तर पूर्व प्रथम सेमेस्टर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांक विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्श की छूट रहेगी।

9.5 पूर्वकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10.प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारणः–

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगाः–

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्रान्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बंध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

11.प्रवेश हेतु प्राथमिकताः–

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी, परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी छात्रों के कमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के कम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के उत्तीर्ण परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसा आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समुह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा किसी एक विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12.आरक्षणः– छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नानुसार रीति से होगा, अर्थात्:–
(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।
परंतु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धा के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

परंतु यह और की पूर्वगामी परंतु में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहॉ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क0–12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा

समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनो वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत् अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही रहेगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि की प्रवेश दिया जाए ताकि न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

13. अधिभारः–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट्स :–
स्काउट शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावें।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ब'' सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत
(ग) ''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(ड) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0 कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(च) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(छ) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत

(ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ट एन.सी.सी. केडेड — 10 प्रतिशत

(झ) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेड भारत एवं अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0 के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को — 10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्क्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर— — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/ क्विज/ रूपांकन प्रतियोगिताएं:—

(1) लोक शिक्ष्ण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में:—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिका 13.1 में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियागिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए0आई0 यू0 द्वारा आयोजित प्रतियोगिता क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अभवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरेार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में:—

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को— — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्य को— — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म0प्र0 मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :

(क) छत्तीसगढ़/म0प्र0 का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों कों— — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्याहनः—

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन0सी0सी0/खेलकूद करे प्रोत्साहन देने के लिए एन0सी0सी0 के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलत्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों

को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है कि:–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियो को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुरक्षा दूसरी बार प्राप्त काने के लिए उन्हे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष मे हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिमार हेतु मान्य किये जायेगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एव स्नातकोत्तर द्वितीय मे प्रवेश हेतु पूर्व सत्र प्रमाण–पत्र अधिमार हेतु मान्य होगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तनः–

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परिक्षा के संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुनानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिमार घटे हुये प्राप्ताको पर देय होगा। महाविद्यालय मे स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष मे एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरन संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावया की अतिम तिथि से 15 दिनो जक दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियो को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध पत्रः–

शासकीय महाविद्यालयो मे पी0एच0डी0 के शोध छात्रो को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपर वाइजर की अनुशंसा कर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेगे। छात्र निर्धारित आवेदन करेगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्रों के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइमर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ठ प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय मे पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थातरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था मे अपना शोध कार्य चालू रख सकते है जहा से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेषः–

16.1 जाली प्रमाण–पत्रो, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य पर होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना कि बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिभार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कण्डिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्याार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उरसे निष्कासित करने का अधिभार प्राचार्य का होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थियों का महाविद्यालय छोड़ने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि कि अतिरिक्त अन्स कोई शुल्क वापिय नही किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिध्दांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शक आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जायें।

16.6 इन मार्गदर्शक सिध्दांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिभार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शन सिध्दांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपुर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अनुशासन तथा उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियमः–

क. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश क. 7 की धारा 13 अनुसार महाविद्यालय के छात्रों द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है! अनुशासन के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रवाधान है (1) निलंबन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक (4) रेस्टीगेशन।

ख. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश कमांक 6 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय) छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75% उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जावेगा।

महाविद्यालय कार्यालय में आवेदन पत्र पहुचने की अंतिम तिथि :–

विभिन्न कक्षाओं में पत्रों प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि का निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जावेगी। अतः छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निरंतर महाविद्यालय के सूचना पटल का अवलोकन करते रहे एवं निर्देशानुसार आपूर्तियां पूरी की जावेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र–

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मुल प्रति) 2. अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि 3. चरित्र प्रमाण पत्र जिन छात्रों ने निजी परीक्षार्थी के रूप में विगत परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा गैप प्रमाण पत्र 4. अन्य राज्यों/विश्वविद्यालयों से आये प्रवेशार्थियों के लिए संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण

पत्र 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़ा जाति, विकलां छात्र। म.प्र. शासन के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र (निर्धरित प्रारूप में)

6. अन्य प्रमाण पत्र (क्रीड़ा एन.सी.सी. आदि) जो वांछित हो। विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पुर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना सुची के आवेदन पत्र नही किये जा सकेंगे। 7. आधार कार्ड की सत्यप्रतिलिपि 8. बैंक खाते के पास बुक में प्रथम पृष्ठ की सत्यप्रतिलिपि

पुस्तकालय

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाभप्रद पुस्तके है। जिसमें स्नातक कक्षा के विद्यार्थी लाभांवित होते है। महाविद्यालय द्वारा कई प्रमुख समाचार पत्र साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएँ मँगवाई जाती है। महाविद्यालय में वाचनालय कक्ष (रीडिंग रूम) है। जिसके प्रतिदिन खुलने का समय सत्र प्रारंभ में सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की सुरक्षा है। पुस्तके लेते समय अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होगा।

पुस्तकालय का सामान्य नियम–

1. स्नातक कक्षा के छात्र एक समय में पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए एक प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार पुस्तकालय से पुस्तकों का लेन–देन करना होगा।
2. छात्रों को चाहिए कि पुस्तके निर्गमित कराते समय वे पुस्तकों का सावधानीकपूर्वक निरीक्षण कर ले और पुस्तको के पृष्ठ कटें– फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रंथपाल/सहायक ग्रन्थालय को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा ले।
3. पुस्तकालय की पुस्तको में लिखना/रेखांकित करना/पृष्ठ निकालना या किसी की क्षति पहुंचाना दण्डनीय है।
4. पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों की परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व वापस किया जाना आवश्यक होता है किन्तु जिन छात्रों जिन छात्रों को पुस्तके नही लौटानी हो वे अवधान हो वे अवधान राशि एवं तत्संबधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तके परीक्षा समाप्ति तक अपने पास रख सकते है। अवधान राशि पुस्तके जमा करने पर वापस लौटी दी जावेगी।
5. छात्र–छात्राओ को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सुचनाओं से स्वतः अवगत होते रहें।

शुल्क विवरण

महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र को जो शुल्क देना होगा वे निम्नलिखित है:–

शिक्षण शुल्क जुलाई से मार्च (प्रति सत्र)		शिक्षण शुल्क जुलाई से मार्च (प्रति सत्र)	
स्नातक (बी.एस.सी.)	115.00	छात्र कामन रूम (ग्रंथालय शुल्क)	20.00
बी.ए./बी.कॉम.	115.00	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00
प्रायोगिक शुल्क	20.00	शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
प्रवेश शुल्क	3.00	सायकल स्टैन्ड शुल्क	15.00
स्टेशनरी	2.00	छात्र संघ शुल्क	2.00
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5.00	चिकित्सा शुल्क	3.00
परिचय पत्र	5.00	जनभागीदारी शुल्क (स्नातक)	300.00
महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00	परीक्षा शुल्क वि.वि द्वारा अलग से निर्धारित होगा युनिट टेस्ट के लिए स्टेशनरी व्यय	50.00
सम्मिलित निधि शुल्क	32.00		
वार्षिक उत्सव	5.00		
नामांकन शुल्क	150.00		
अप्रवासन शुल्क	220.00		
धरोहर राशि (स्नातक)	60.00		

विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित (विज्ञान/गृहविज्ञान मात्र के लिए) अन्य राज्यो/विश्वविद्यालय से आये छात्रो के लिए 220.00 अप्रवासन शुल्क देय होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश विलंब शुल्क अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा।

स. कॉंशनमनी – प्रत्येक नये छात्र–छात्राओं को प्रवेश के समय निम्नलिखित सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्यः– (1) स्नातक स्तर पर 60.00 2. स्नातकोत्तर पर स्तर पर 100.00

अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षा संबंधी नियमः–

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की अधिसुचना कमांक 198/अति.संचा/3/38, भोपाल दिनाँक 17 मई 1988 के अंतर्गत बी.ए./ बी.एस.सी. की प्रायोगिक कक्षा में प्रवेश पाने वाले अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के प्रवेश नियमित छात्रों के प्रवेश के साथ होंगे। अब प्रत्येक सत्र मे यह अतिरिक्त महाविद्यालयीन सत्रारंभ से 6 माह के लिए होगी। तदनुसार शुल्क भी अब 6 माह के लिए लिया जावेगा। ऐसे महाविद्यालयीन छात्र/छात्राए प्रायवेट श्रेणी के अंतर्गत महाविद्यालय का प्रवेश फॉर्म भरेंगे तथा प्रवेश पाने पर निर्धारित शुल्क जमा करेंगे। निर्धारित शुल्क की सूचना तथा प्रवेश सूची अलग से यथासमय सूचित की जावेगी। अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के 6 माह प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थित होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। स्वाध्यायी आवेदको को केवल बी.ए./ बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रायोगिक सुविधा मिलेगी।

अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं हेतु अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए शुल्क विवरणः–

शासकीय शुल्क	–	20.00
विज्ञान विषयों के लिए	–	60.00 (प्रत्येक विषय हेतु)
भूगोल	–	60.00
अध्यापन शुल्क	–	60.00
सुरक्षा निधि राशि	–	60.00 (स्नातक) 100.00 (एम.ए.)
महाविद्यालय विकास शुल्क	–	25.00
सायकल स्टैण्ड शुल्क	–	15.00
जनभागीदारी शुल्क (कला संकाय)	–	300.00
जनभागीदारी शुल्क (विज्ञान संकाय)	–	300.00

महाविद्यालय छोड़ते समय उक्त सुरक्षा निधि की राशि अदेयता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कारने पर लौटा दिया जाएगा, किन्तु राशि प्राप्त करने हेतु मुल रसीद जिसके द्वारा काशनमनी जमा है, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि माह में 15 तारीख को रविवार हो अथवा अवकाश हो तो ऐसी स्थिति में शुल्क का भुगतान 14 तारीख तक कर देना होगा।

टीपः– (1) शिक्षण शुल्क प्रवेश शुल्क के साथ एक मुश्त देय होगा। (2) यदि कोई आवेदक प्रवेश के निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नही करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा। (3) महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के पश्चात् प्रत्येक छात्र–छात्राओं को प्रवेश को प्रवेश पत्र दिया जावेगा। (4) प्रवेश शुल्क जमा करने के समय आवेदक को पासपोर्ट साईज फोटो दो प्रतियो में जमा करना अनिवार्य है। (5) परीक्षा संबंधी नियम की कंडिका क्रमांक 1 के तहत प्रवेशित प्रत्येक छात्र–छात्राओं को युनिट टेस्ट के लिये रूपये 50.00, स्टेशनरी व्यय के लिये जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि प्रवेश शुल्क के शुल्क के साथ ही देय होगा।

अमानत राशि प्राप्त करने के नियमः–

1. अमानत राशि मिलने के लिए आवेदन पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में 10 दिन पूर्व जमा करना होगा।
2. विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अन्दर राशि वापस करने हेतु आवेदन देना होगा। तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर अमानत राशि निम्नानुसार राजसात हो जायेगी।
3. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण–पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के पश्चात राशि दी जायेगी।
4. परिचय पत्र एवं रसीद के अभाव में धरोहर राशि का भुगतान नही किया जायेगी।

शुल्क संबंधी रियायतेंः–

शुल्क संबंधी निम्नलिखित रियासतें केवल पूर्णकालीन (फुलटाईम) छात्रों को ही मिल सकेगी। इसके अन्तर्गत केवल शिक्षण शुल्क में रियासतें दी जाती है। इस नियम के अधीन निम्नलिखत रियायतें मिलती है।

क्र. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रियासतें : – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है। किन्तु अन्य समस्त शुल्क उन्हें देने होंगे इसके लिए जिलाधीश से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ख. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियो (परिवार के अन्य सदस्य नहीं) शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है व अन्य समस्त शुल्क उन्हें पूरे देने होंगे।

यह रियायत छात्र को जिस कार्यालय में उसके पिता या माता सेवारत हो उसे कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी की प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकेगी। मध्यप्रदेश भाासन उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञापन क. 1607/1886/बजट 86 भोपाल दिनांक 6.5.86 के अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य के ऐसे द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी जो चौधरी वेतमान में रू. 1450/– तक वंतन प्राप्त कर रहे हैं उनके बच्चों को शिक्षण शुल्क से छुट राज्य शासन के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के समान इस विभाग के ज्ञापन कमांक 2246/3236/बी–9/72 दिनांक 4.5.73 सहपठित ज्ञापन 2646/3909/बी–9–73 दिनांक 10.8.73 में उल्लेखित भर्ती के अनुसार रहेगी। यह आदेश रहेगी। यह आदेश 1 जुलाई 86 से प्रभावशाली रहेंगे। जिन द्वितीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा चौधरी वेतनमान स्वीकार नही किया गया है व उनके बच्चो के संबंध में शिक्षण शुल्क में छुट पूर्व आदेशों के अनुसाार ही रहेगी।

ग. बहन–भाई होने के कारण सुविधा– यदि दो या इससे अधिक भाई इस विद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते है तो उनमें से सबसे बड़े भाई को पूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा।

घ. कृषकों के बच्चों को रियायतेः– इस छुट का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित को जिलाधीश अथवा सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में एक तिहाई की छुट प्रदान की जा सकेगी जिनके पिता की वार्षिक आय 6000/– से अधिक न हो। शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

प्रवेश सह – शुल्क पत्र एवं उसका उपयोगः–

छात्र को भाुल्क भुगतान करते यमय प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रों के हित मे है कि वे कार्यालय में शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की जॉच अच्छी तरह से कर ली प्रवेश पत्र में संबंधित प्रविष्टियॉ की गई है तथा शुल्क संग्राहक लिपिक के द्वारा हस्ताक्षरित भी हुई है। मूल प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्रों को दंडात्मक 40.00 रू. शुल्क जमा कर प्रवेश पत्र द्वितीय प्रति (डूप्लीकेट) प्राप्त करना होगा।

अन्य सुविधाएँः–

क. पुस्तकालयः– महाविद्यालय में वाचनालय की सुविधा है। छात्रों को एक बार में एक माह की अवधि के लिए एक पुस्तक निर्गमित की जाती है। पुस्तकालय में पाठ्यकम की पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए विविध श्रेणी की पुस्तकें है। पुस्तकालय का संचालन पुस्तकालय पहचान पत्र में दिये गये नियमों के अधिन होता है। पुस्तकालय में लगभग 1500 पुस्तके उपलब्ध है साथ ही कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ भी उपलब्ध है।

ख. बुक बैकः– इससे अंतर्गत छात्रों/नागरिकों द्वारा दान में प्रदत्त पुस्तके जमा की जाती है। शासन द्वारा बी.पी.एल. बुक बैक योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीच जीवन यापन करने वालो को उपलब्ध कराई जाती है।

ग. अनुजाति/अनुजनजाति/पिछड़ा वर्ग सहायता योजनाः–शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से चयनित पुस्तके तथा लेखन सामग्री इसके अंतर्गत इस वर्ग के छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है।

घ. छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाः– भारत शासन तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अनेक प्रकार छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया है।

ङ. छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाः– भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार छात्रवृत्तियॉ दी जाती है

1. एकीकृत छात्रवृत्ति
2. अनुजाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु शासन के निर्देशानुसार
3. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति

परिचय पत्र एवं उनका उपयोगः–

परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही महाविद्यालय पुस्तकालय से पुस्तकें छात्र को दी जावेगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र समय अथवा सुरक्षित निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र करना होगा। अतएव सभी छात्र अपने परिचय पत्र सावधानी के साथ रखें।

शिक्षक अभिवाभक योजना :–

शिक्षक अभिवाभक योजना के अंतर्गत छात्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु महाविद्यालयो के शिक्षकों को छात्रों के अभिभावकों की भूमिका दी जाती है। छात्रों की शैक्षिणक प्रगति, अभिरूचि, उपस्थिति एवं शैक्षिणोत्तर गतिविधियों की जानकारी लेकर अभिलेख तैयार किया जाता है जिससें छात्रो के समन्वित विकास का कार्य किया जा सके। प्रवेश के समय छात्रों को अपना शिक्षक अभिवावक अभिलेख भरकर प्रवेश प्रभारियो के पास जमा करना होगा। शिक्षक अभिलेख का प्रारूप प्रवेश फार्म के साथ संलग्न है।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्रः–

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानो में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यो को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर उसके पालक या अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।
6. महाविद्यालय की सीमाओ में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।
7. महाविद्यालय में इधर उधर थुकना, दीवालों को गंदा करना, गदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीति दलों, कार्यकताओं अथवा समाचार पत्रों का सकारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

10. छात्र–छात्रायें सदैव अपना महाविद्यालय का परिचय पत्र साथ रखे तथा जब भी आवश्यकता हो प्रस्तुत करे परिचय पत्र न होने की स्थिति में महाविद्यालय में चालू वर्ष की फीस की प्रस्तुत करें।

11. कक्षाओं में अध्यापन के समय बरामदो में न घूमे तथा किसी तरह बाधा न पहुचाये। प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी के लिए आचरण संहिताः–

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमो का अक्षरश : पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

01. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।

02. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

03. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली, गलौच मारपीट नही करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

6. प्रत्येक विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगा अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।

7. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणो का प्रयोग सावधानीकपूर्वक करेगा।

8. महाविद्यालय में पंखें, लाइट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फीटींग की तोड़फोड़ करना दण्डनीय आचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय का अधिकार क्षेत्रः'–

1. यदि छात्र गंभीर अपराध में संलग्न पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
3. यदि विद्यार्थी आवेदन पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में रैगिंग निरोधः–

रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है

कोलाहलपूर्ण, अनुचित व्यवहार करना चिढ़ाना भद्दे या अशिष्ट आचरण करना उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में सलग्न होना जिससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रो से ऐसा कार्य करने के लिए कहना जो छात्र–छात्रा सामान्यता नही कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

रैगिंग में कोई छात्र लिप्ट पाये जाने पर निम्नानुसार दण्ड के प्रावधान हैः–

1. प्रवेश निरस्तुत किया जाना
2. कक्षा/छात्रावास से निश्कासित किया जाना
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परिक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तथा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध
7. संस्था से रेस्टीकेट करना
8. आर्थिक दण्ड 25000/– तक

GOVERNMENT EKLAVYA COLLEGE

DondiLohara , Dalli Rajhara Road, District:Balod, Chhattisgarh, India, PIN:491771

Affiliation: Hemchand Yadav University, Durg, Chhattisgarh, India

PROSPECTUS

Session : 2017-18

Email: govtcollegelohara@gmail.com

Landline: +91 07748264001

प्राचार्य का संदेश .....

मानव संसाधन के विकास और कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा की उपलब्धता आवश्यक हैं। इसके बिना भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और दोहन संभव नहीं हैं। सुदूर आदिवासी अंचलों तथा दुरम्य वन क्षेत्रों उच्च शिक्षा का दीप प्रज्वलित हो रहा है। हमारी यह यात्रा अनवरत जारी है। यह शिक्षण संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है। हमारी ऑखों में भविष्य का एक विराट स्वप्न झिलमिला रहा है। यह शिक्षण संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत हैं।

हमारा लक्ष्य –

01. उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं तक पहुंचाना।
02. आदिवासी बाहुल्य दरुम्य क्षेत्र के लिए भी उच्च शिक्षा सहज सुलभ हो इसके लिए सक्रिय प्रयास करना।
03. विभिन्न सामाजिक वर्ग, आयु, लिंग, भाशा, धर्म, क्षेत्रियता से परे सबको उच्च शिक्षा के सामान अवसर प्रदान करना।
04. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का लक्ष्य निर्धारित करना।
05. जिम्मेदार नागरिक बनाना।

प्राचार्य
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा
जिला–बालोद (छ.ग.)

...महाविद्यालय का इतिहास...

शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौंडी लोहारा की स्थापना वर्ष जुलाई 2006 से की गई है। यह महाविद्यालय राजनांदगांव से दल्लीराजहरा रोड पर 35 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। महाविद्यालय में तीन संकाय है कला, वाणिज्य एवं विज्ञान (बॉयो, माइक्रो बॉयोलाजी व गणित) में स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए. राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास व हिन्दी साहित्य विषय पर अध्ययन की व्यवस्था है। यह महाविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्याल, दुर्ग से संबंध है।

महाविद्यालय में खेल मैदान एवं महाविद्यालय स्वयं का भवन निर्मित है। शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक ईकाई संचालित है।

लक्ष्य एवं उद्देश्यः—

1. छात्र—छात्राओं को सहज एवं कम खर्च में अच्छी शिक्षा प्रदान करना।
2. विद्यार्थियों की लेखन शैली का विकास करना।
3. विद्यार्थियों में लिखित एवं मौखिक सम्प्रेषण कला का विकास करना।
4. महाविद्यालय में विद्यार्थियों को सामाजिक, नैतिक एवं सृजनात्मक गुणों का विकास करना।
5. रोजगार उपलब्ध कराना।
6. सामाजिक समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बनाना।
7. विद्यार्थियों में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों के प्रति विशेष जोर देना।
8. ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा प्रदान करना।

डॉ. आर.के. जैन
प्राचार्य
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डी—लोहारा
जिला—बालोद, छत्तीसगढ़

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं निर्धारित स्थान महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं विषय

क्र.	पाठ्क्रम	विषय
विज्ञान संकाय		
1.	बी.एस.सी. – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन विषय समूह – रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र
2.	बी.एस.सी. – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन विषय समूह – रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र
3.	बी.एस.सी. – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन विषय समूह – रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र
वाणिज्य संकाय		
1.	बी.कॉम – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन अन्य सभी अनिवार्य विषय
2.	बी.कॉम – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन अन्य सभी अनिवार्य विषय
3.	बी.कॉम – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन अन्य सभी अनिवार्य विषय
कला संकाय		
1.	बी.ए. – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास
2.	बी.ए. – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास
3.	बी.ए. – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास
4.	एम.ए.पूर्व एवं अंतिम	हिन्दी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र

महाविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान–

क्र.	कक्षा	उपलब्ध स्थान
1.	बी.कॉम. प्रथम वर्ष	60
2.	बी.ए. प्रथम वर्ष	200
3.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (माइक्रोबायोलाजी – बायो.)	100 (30 माइक्रो–70 बायो.)
4.	बी.एस.सी. गणित	30
5.	एम.ए.पूर्व अर्थशास्त्र	30
6.	एम.ए.पूर्व हिन्दी	30
7.	एम.ए.पूर्व – इतिहास	25
8.	एम.ए.पूर्व – राजनीति विज्ञान	25

प्रवेश के संबंध में सामान्य दिशा निर्देशः–

1. प्रवेश के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका के नियम लागू होंगे तथा इन नियमों में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन/संशोधन भी लागू होगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों जमा करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा यह सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जावेगी।
3. महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी शासन द्वारा जारी निर्देश प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर ही लागू होगा।
4. किसी भी स्थिति में मूल स्थानांतरण प्रणाम पत्र (टी.सी) के बिना प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
5. प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रवेश लेते समय कक्षा 10वीं से लेकर प्रवेश प्राप्त करने वाली कक्षा के पूर्व कक्षा तक कक्षाओ के प्रमाणित अंक सूचियो एवं चरित्र प्रमाण पत्र व टी.सी. के के साथ दो पासपोर्ट आकार फोटो जमा करना होगा।
6. अन्य विश्वविद्यालय के प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रकरण पर छात्रों को स्थान रिक्त होने पर विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लाने के पश्चात ही प्रवेश पर विचार किया जा सकेगा।
7. अंतिम तिथि के पश्चात सीट रिक्त होने पर/अगली सूची होने के पूर्व 100/- विलब शुल्क छात्र/छात्राओं को देय होगा।
8. प्रवेश प्राप्ति के उपरांत नये छात्रो को विश्वविद्यालय का नामांकन पत्र अनिवार्य रूप से भरकर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा छात्रों का नियमित प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अमान्य किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय में प्रवेशित नये छात्रो को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने के लिए 75% की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
10. महाविद्यालय में मोबाईल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
11. विद्यार्थी अपना परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राध्यापकों को अवलोकन करावें।
12. छात्रवृत्ति चाहने वाले छात्र सूचना पटल मे प्रदर्शित की अंतिम तिथि के पूर्व अपनी सभी औपचारिकताये पूर्ण कर आवेदन जमा करे।
13. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः पतिबंधित है, रैगिंग में संलग्न पाये गये छात्रों पर निम्नानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। जिसमें सजा एवं महाविद्यालय से निष्काशीत भी किया जा सकता है।
14. महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही छात्र/छात्राओं एवं पाल्य को रैकिंग में संलग्न नहीं होने संबंधी शपथ पत्र नोटरी कराकर जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्तिः–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश कमांक–6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपटित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करनाः–

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अस्थाई प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित, निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओ में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में, पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा इसे प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करनाः–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परीणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये। किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदन ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्याय में नियमानुसार किसी में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा।

आवेदक ''ख'' में स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायो के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जावेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा ''उच्चशिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिनियम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावें। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समुह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समुह का निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची:–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण–पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र ''प्रवेश दिया गया'' रदद् की मोहर लगाकर उसे रदद् करना चाहियें।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण–प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायें।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नही दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो। प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से भी वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र–छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षाः–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मिर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेशः–

(क) 10+2 परीक्षा आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगाा। बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ख) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेशः–

(क) बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/बी0ए0 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एम0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/एम0ए0पूर्व0/प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी0एस0सी0 उत्तीर्ण आवेदकों को एम0एस0–सी/ एम0ए0पूर्व0 में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर नियमित प्रवेश की पात्रता होगीं।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए0टी0के0टी0 **(Allowed to keep Term)** नियमः–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए0टी0के0टी0 (Allowed to keep Term) नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेशः–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर एवं एल0एल0एम0 प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर एवं एल0एल0एम0 द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सेमेस्टर में भी चालू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमाः–

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 %) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55% अंक पाप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षाः–

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) इंडियन कौन्सिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय का संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNU को छोड़कर) जो दूरदर्शी पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नही है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं. जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कों

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेशः–

7.1 स्नातक स्तर तक बी0ए0/बी0कॉम0/बी0एस0सी0/बी0एच0एस.–सी0 में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु, सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समुहों में आवेदकों नें पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावें। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जायें।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाद्यिलयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाद्यिलयों से स्नातकोत्तर पूर्व कह परीक्षा या प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वि”यों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य कि बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंजो का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं प्रायोगिक विशयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाद्यिालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धरित भाुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थाई प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अस्थाई प्रवेश लेना अनिवार्य होनाः–

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में पूरक परीक्षा(कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटीकेटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएंः–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं को उसी संकाय की उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेग, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा भापथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मेंउसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही निम्नानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो न्यायालय में अपारधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नश्ट करने वाले/रैगिंग के आरोप छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकश्त है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं रिपोर्ठ के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जायें।

ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी भाासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावें।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमाः–

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्श में 22 वर्श स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्श में 27 वर्श से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदक आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों विदेश सरकार द्वारा अनुसंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कष्ट महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर प्रथम वर्ष पर 25 एवं स्नातकोत्तर पूर्व प्रथम सेमेस्टर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांक विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्श की छूट रहेगी।

9.5 पूर्वकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10.प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारणः–

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगाः–

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्रान्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बंध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

11.प्रवेश हेतु प्राथमिकताः–

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी, परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी छात्रों के कमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के कम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के उत्तीर्ण परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसा आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समुह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा किसी एक विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12.आरक्षणः– छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नानुसार रीति से होगा, अर्थात्:–
(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।
परंतु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धा के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

परंतु यह और की पूर्वगामी परंतु में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहॉ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क0–12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा

समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनो वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत् अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही रहेगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि की प्रवेश दिया जाए ताकि न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

13. अधिभारः–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट्स :–
स्काउट शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावें।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ब'' सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत
(ग) ''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(ड) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0 कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(च) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(छ) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत

(ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ट एन.सी.सी. केडेड — 10 प्रतिशत

(झ) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेड भारत एवं अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0 के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को — 10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्क्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर— — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/ क्विज/ रूपांकन प्रतियोगिताएं:—

(1) लोक शिक्ष्ण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में:—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिका 13.1 में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियागिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए0आई0 यू0 द्वारा आयोजित प्रतियोगिता क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अभवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरेार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में:—

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को— — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्य को— — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म0प्र0 मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :

(क) छत्तीसगढ़/म0प्र0 का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों कों— — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्याहनः—

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन0सी0सी0/खेलकूद करे प्रोत्साहन देने के लिए एन0सी0सी0 के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलत्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों

को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है किः–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियो को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुरक्षा दूसरी बार प्राप्त काने के लिए उन्हे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष मे हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एव स्नातकोत्तर द्वितीय मे प्रवेश हेतु पूर्व सत्र प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तनः–

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परिक्षा के संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुनानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्ताको पर देय होगा। महाविद्यालय मे स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष मे एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरन संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावया की अतिम तिथि से 15 दिनो जक दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियो को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध पत्रः–

शासकीय महाविद्यालयो मे पी0एच0डी0 के शोध छात्रो को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपर वाइजर की अनुशंसा कर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेगे। छात्र निर्धारित आवेदन करेगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्रों के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइमर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ठ प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय मे पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थातरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था मे अपना शोध कार्य चालू रख सकते है जहा से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेषः–

16.1 जाली प्रमाण–पत्रो, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य पर होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना कि बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिभार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कण्डिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्याार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उरसे निष्कासित करने का अधिभार प्राचार्य का होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थियों का महाविद्यालय छोड़ने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि कि अतिरिक्त अन्स कोई शुल्क वापिय नही किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिध्दांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शक आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जायें।

16.6 इन मार्गदर्शक सिध्दांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिभार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शन सिध्दांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपुर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अनुशासन तथा उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियमः–

क. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश क. 7 की धारा 13 अनुसार महाविद्यालय के छात्रों द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है! अनुशासन के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रवाधान है (1) निलंबन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक (4) रेस्टीगेशन।

ख. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश कमांक 6 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय) छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75% उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जावेगा।

महाविद्यालय कार्यालय में आवेदन पत्र पहुचने की अंतिम तिथि :–

विभिन्न कक्षाओं में पत्रों प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि का निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जावेगी। अतः छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निरंतर महाविद्यालय के सूचना पटल का अवलोकन करते रहे एवं निर्देशानुसार आपूर्तियां पूरी की जावेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र–

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मुल प्रति) 2. अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि 3. चरित्र प्रमाण पत्र जिन छात्रों ने निजी परीक्षार्थी के रूप में विगत परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा गैप प्रमाण पत्र 4. अन्य राज्यों/विश्वविद्यालयों से आये प्रवेशार्थियों के लिए संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण

पत्र 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़ा जाति, विकलां छात्र। म.प्र. शासन के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र (निर्धरित प्रारूप में)

6. अन्य प्रमाण पत्र (क्रीड़ा एन.सी.सी. आदि) जो वांछित हो। विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पुर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना सुची के आवेदन पत्र नही किये जा सकेंगे। 7. आधार कार्ड की सत्यप्रतिलिपि 8. बैंक खाते के पास बुक में प्रथम पृष्ठ की सत्यप्रतिलिपि

पुस्तकालय

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाभप्रद पुस्तके है। जिसमें स्नातक कक्षा के विद्यार्थी लाभांवित होते है। महाविद्यालय द्वारा कई प्रमुख समाचार पत्र साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएँ मँगवाई जाती है। महाविद्यालय में वाचनालय कक्ष (रीडिंग रूम) है। जिसके प्रतिदिन खुलने का समय सत्र प्रारंभ में सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की सुरक्षा है। पुस्तके लेते समय अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होगा।

पुस्तकालय का सामान्य नियम–

1. स्नातक कक्षा के छात्र एक समय में पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए एक प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार पुस्तकालय से पुस्तकों का लेन–देन करना होगा।
2. छात्रों को चाहिए कि पुस्तके निर्गमित कराते समय वे पुस्तकों का सावधानीकपूर्वक निरीक्षण कर ले और पुस्तको के पृष्ठ कटें– फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रंथपाल/सहायक ग्रन्थालय को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा ले।
3. पुस्तकालय की पुस्तको में लिखना/रेखांकित करना/पृष्ठ निकालना या किसी की क्षति पहुंचाना दण्डनीय है।
4. पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों की परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व वापस किया जाना आवश्यक होता है किन्तु जिन छात्रों जिन छात्रों को पुस्तके नही लौटानी हो वे अवधान हो वे अवधान राशि एवं तत्संबधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तके परीक्षा समाप्ति तक अपने पास रख सकते है। अवधान राशि पुस्तके जमा करने पर वापस लौटी दी जावेगी।
5. छात्र–छात्राओ को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सुचनाओं से स्वतः अवगत होते रहें।

शुल्क विवरण

महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र को जो शुल्क देना होगा वे निम्नलिखित है:–

शिक्षण शुल्क जुलाई से मार्च (प्रति सत्र)		शिक्षण शुल्क जुलाई से मार्च (प्रति सत्र)	
स्नातक (बी.एस.सी.)	115.00	छात्र कामन रूम (ग्रंथालय शुल्क)	20.00
बी.ए./बी.कॉम.	115.00	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00
प्रायोगिक शुल्क	20.00	शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
प्रवेश शुल्क	3.00	सायकल स्टैन्ड शुल्क	15.00
स्टेशनरी	2.00	छात्र संघ शुल्क	2.00
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5.00	चिकित्सा शुल्क	3.00
परिचय पत्र	5.00	जनभागीदारी शुल्क (स्नातक)	300.00
महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00	परीक्षा शुल्क वि.वि द्वारा अलग से निर्धारित होगा युनिट टेस्ट के लिए स्टेशनरी व्यय	50.00
सम्मिलित निधि शुल्क	32.00		
वार्षिक उत्सव	5.00		
नामांकन शुल्क	150.00		
अप्रवासन शुल्क	220.00		
धरोहर राशि (स्नातक)	60.00		

विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित (विज्ञान/गृहविज्ञान मात्र के लिए) अन्य राज्यो/विश्वविद्यालय से आये छात्रो के लिए 220.00 अप्रवासन शुल्क देय होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश विलंब शुल्क अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा।

स. कॉंशनमनी – प्रत्येक नये छात्र–छात्राओं को प्रवेश के समय निम्नलिखित सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्यः– (1) स्नातक स्तर पर 60.00 2. स्नातकोत्तर पर स्तर पर 100.00

अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षा संबंधी नियमः–

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की अधिसुचना कमांक 198/अति.संचा/3/38, भोपाल दिनाँक 17 मई 1988 के अंतर्गत बी.ए./ बी.एस.सी. की प्रायोगिक कक्षा में प्रवेश पाने वाले अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के प्रवेश नियमित छात्रों के प्रवेश के साथ होंगे। अब प्रत्येक सत्र मे यह अतिरिक्त महाविद्यालयीन सत्रारंभ से 6 माह के लिए होगी। तदनुसार शुल्क भी अब 6 माह के लिए लिया जावेगा। ऐसे महाविद्यालयीन छात्र/छात्राए प्रायवेट श्रेणी के अंतर्गत महाविद्यालय का प्रवेश फॉर्म भरेंगे तथा प्रवेश पाने पर निर्धारित शुल्क जमा करेंगे। निर्धारित शुल्क की सूचना तथा प्रवेश सूची अलग से यथासमय सूचित की जावेगी। अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के 6 माह प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थित होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। स्वाध्यायी आवेदको को केवल बी.ए./ बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रायोगिक सुविधा मिलेगी।

अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं हेतु अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए शुल्क विवरणः–

शासकीय शुल्क	–	20.00
विज्ञान विषयों के लिए	–	60.00 (प्रत्येक विषय हेतु)
भूगोल	–	60.00
अध्यापन शुल्क	–	60.00
सुरक्षा निधि राशि	–	60.00 (स्नातक) 100.00 (एम.ए.)
महाविद्यालय विकास शुल्क	–	25.00
सायकल स्टैण्ड शुल्क	–	15.00
जनभागीदारी शुल्क (कला संकाय)	–	300.00
जनभागीदारी शुल्क (विज्ञान संकाय)	–	300.00

महाविद्यालय छोड़ते समय उक्त सुरक्षा निधि की राशि अदेयता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कारने पर लौटा दिया जाएगा, किन्तु राशि प्राप्त करने हेतु मुल रसीद जिसके द्वारा काशनमनी जमा है, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि माह में 15 तारीख को रविवार हो अथवा अवकाश हो तो ऐसी स्थिति में शुल्क का भुगतान 14 तारीख तक कर देना होगा।

टीपः– (1) शिक्षण शुल्क प्रवेश शुल्क के साथ एक मुश्त देय होगा। (2) यदि कोई आवेदक प्रवेश के निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नही करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा। (3) महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के पश्चात् प्रत्येक छात्र–छात्राओं को प्रवेश को प्रवेश पत्र दिया जावेगा। (4) प्रवेश शुल्क जमा करने के समय आवेदक को पासपोर्ट साईज फोटो दो प्रतियो में जमा करना अनिवार्य है। (5) परीक्षा संबंधी नियम की कंडिका क्रमांक 1 के तहत प्रवेशित प्रत्येक छात्र–छात्राओं को युनिट टेस्ट के लिये रूपये 50.00, स्टेशनरी व्यय के लिये जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि प्रवेश शुल्क के शुल्क के साथ ही देय होगा।

अमानत राशि प्राप्त करने के नियमः–

1. अमानत राशि मिलने के लिए आवेदन पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में 10 दिन पूर्व जमा करना होगा।
2. विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अन्दर राशि वापस करने हेतु आवेदन देना होगा। तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर अमानत राशि निम्नानुसार राजसात हो जायेगी।
3. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण–पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के पश्चात राशि दी जायेगी।
4. परिचय पत्र एवं रसीद के अभाव में धरोहर राशि का भुगतान नही किया जायेगी।

शुल्क संबंधी रियायतेंः–

शुल्क संबंधी निम्नलिखित रियासतें केवल पूर्णकालीन (फुलटाईम) छात्रों को ही मिल सकेगी। इसके अन्तर्गत केवल शिक्षण शुल्क में रियासतें दी जाती है। इस नियम के अधीन निम्नलिखत रियायतें मिलती है।

क्र. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रियासतें : – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है। किन्तु अन्य समस्त शुल्क उन्हें देने होंगे इसके लिए जिलाधीश से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ख. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियो (परिवार के अन्य सदस्य नहीं) शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है व अन्य समस्त शुल्क उन्हें पूरे देने होंगे।

यह रियायत छात्र को जिस कार्यालय में उसके पिता या माता सेवारत हो उसे कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी की प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकेगी। मध्यप्रदेश भाासन उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञापन क. 1607/1886/बजट 86 भोपाल दिनांक 6.5.86 के अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य के ऐसे द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी जो चौधरी वेतमान में रू. 1450/– तक वंतन प्राप्त कर रहे हैं उनके बच्चों को शिक्षण शुल्क से छुट राज्य शासन के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के समान इस विभाग के ज्ञापन कमांक 2246/3236/बी–9/72 दिनांक 4.5.73 सहपठित ज्ञापन 2646/3909/बी–9–73 दिनांक 10.8.73 में उल्लेखित भर्ती के अनुसार रहेगी। यह आदेश रहेगी। यह आदेश 1 जुलाई 86 से प्रभावशाली रहेंगे। जिन द्वितीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा चौधरी वेतनमान स्वीकार नही किया गया है व उनके बच्चो के संबंध में शिक्षण शुल्क में छुट पूर्व आदेशों के अनुसाार ही रहेगी।

ग. बहन–भाई होने के कारण सुविधा– यदि दो या इससे अधिक भाई इस विद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते है तो उनमें से सबसे बड़े भाई को पूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा।

घ. कृषकों के बच्चों को रियायतेः– इस छुट का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित को जिलाधीश अथवा सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में एक तिहाई की छुट प्रदान की जा सकेगी जिनके पिता की वार्षिक आय 6000/– से अधिक न हो। शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

प्रवेश सह – शुल्क पत्र एवं उसका उपयोगः–

छात्र को भाुल्क भुगतान करते यमय प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रों के हित मे है कि वे कार्यालय में शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की जॉच अच्छी तरह से कर ली प्रवेश पत्र में संबंधित प्रविष्टियॉ की गई है तथा शुल्क संग्राहक लिपिक के द्वारा हस्ताक्षरित भी हुई है। मूल प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्रों को दंडात्मक 40.00 रू. शुल्क जमा कर प्रवेश पत्र द्वितीय प्रति (डूप्लीकेट) प्राप्त करना होगा।

अन्य सुविधाएँः–

क. पुस्तकालयः– महाविद्यालय में वाचनालय की सुविधा है। छात्रों को एक बार में एक माह की अवधि के लिए एक पुस्तक निर्गमित की जाती है। पुस्तकालय में पाठ्यकम की पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए विविध श्रेणी की पुस्तकें है। पुस्तकालय का संचालन पुस्तकालय पहचान पत्र में दिये गये नियमों के अधिन होता है। पुस्तकालय में लगभग 1500 पुस्तके उपलब्ध है साथ ही कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ भी उपलब्ध है।

ख. बुक बैकः– इससे अंतर्गत छात्रों/नागरिकों द्वारा दान में प्रदत्त पुस्तके जमा की जाती है। शासन द्वारा बी.पी.एल. बुक बैक योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीच जीवन यापन करने वालो को उपलब्ध कराई जाती है।

ग. अनुजाति/अनुजनजाति/पिछड़ा वर्ग सहायता योजनाः–शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से चयनित पुस्तके तथा लेखन सामग्री इसके अंतर्गत इस वर्ग के छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है।

घ. छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाः– भारत शासन तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अनेक प्रकार छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया है।

ङ. छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाः– भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार छात्रवृत्तियॉ दी जाती है

1. एकीकृत छात्रवृत्ति
2. अनुजाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु शासन के निर्देशानुसार
3. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति

परिचय पत्र एवं उनका उपयोगः–

परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही महाविद्यालय पुस्तकालय से पुस्तकें छात्र को दी जावेगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र समय अथवा सुरक्षित निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र करना होगा। अतएव सभी छात्र अपने परिचय पत्र सावधानी के साथ रखें।

शिक्षक अभिवाभक योजना :–

शिक्षक अभिवाभक योजना के अंतर्गत छात्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु महाविद्यालयो के शिक्षकों को छात्रों के अभिभावकों की भूमिका दी जाती है। छात्रों की शैक्षिणक प्रगति, अभिरूचि, उपस्थिति एवं शैक्षिणोत्तर गतिविधियों की जानकारी लेकर अभिलेख तैयार किया जाता है जिससें छात्रो के समन्वित विकास का कार्य किया जा सके। प्रवेश के समय छात्रों को अपना शिक्षक अभिवावक अभिलेख भरकर प्रवेश प्रभारियो के पास जमा करना होगा। शिक्षक अभिलेख का प्रारूप प्रवेश फार्म के साथ संलग्न है।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्रः–

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानो में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यो को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर उसके पालक या अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।
6. महाविद्यालय की सीमाओ में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।
7. महाविद्यालय में इधर उधर थुकना, दीवालों को गंदा करना, गदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीति दलों, कार्यकताओं अथवा समाचार पत्रों का सकारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

10. छात्र–छात्रायें सदैव अपना महाविद्यालय का परिचय पत्र साथ रखे तथा जब भी आवश्यकता हो प्रस्तुत करे परिचय पत्र न होने की स्थिति में महाविद्यालय में चालू वर्ष की फीस की प्रस्तुत करें।

11. कक्षाओं में अध्यापन के समय बरामदो में न घूमे तथा किसी तरह बाधा न पहुचाये। प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी के लिए आचरण संहिताः–

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमो का अक्षरश : पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

01. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।

02. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

03. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली, गलौच मारपीट नही करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

6. प्रत्येक विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगा अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।

7. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणो का प्रयोग सावधानीकपूर्वक करेगा।

8. महाविद्यालय में पंखें, लाइट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फीटींग की तोड़फोड़ करना दण्डनीय आचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय का अधिकार क्षेत्रः'–

1. यदि छात्र गंभीर अपराध में संलग्न पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
3. यदि विद्यार्थी आवेदन पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में रैगिंग निरोधः–

रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है

कोलाहलपूर्ण, अनुचित व्यवहार करना चिढ़ाना भद्दे या अशिष्ट आचरण करना उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में सलग्न होना जिससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रो से ऐसा कार्य करने के लिए कहना जो छात्र–छात्रा सामान्यता नही कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

रैगिंग में कोई छात्र लिप्ट पाये जाने पर निम्नानुसार दण्ड के प्रावधान हैः–

1. प्रवेश निरस्तुत किया जाना
2. कक्षा/छात्रावास से निश्कासित किया जाना
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परिक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तथा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध
7. संस्था से रेस्टीकेट करना
8. आर्थिक दण्ड 25000/– तक

GOVERNMENT EKLAVYA COLLEGE

DondiLohara , Dalli Rajhara Road, District:Balod, Chhattisgarh, India, PIN:491771

Affiliation: Hemchand Yadav University, Durg, Chhattisgarh, India

PROSPECTUS

Session : 2018-19

Email: govtcollegelohara@gmail.com

Landline: +91 07748264001

प्राचार्य का संदेश .....

मानव संसाधन के विकास और कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा की उपलब्धता आवश्यक हैं। इसके बिना भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और दोहन संभव नहीं हैं। सुदूर आदिवासी अंचलों तथा दुरम्य वन क्षेत्रों उच्च शिक्षा का दीप प्रज्वलित हो रहा है। हमारी यह यात्रा अनवरत जारी है। यह शिक्षण संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है। हमारी ऑखों में भविष्य का एक विराट स्वप्न झिलमिला रहा है। यह शिक्षण संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत हैं।

हमारा लक्ष्य –

01. उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं तक पहुंचाना।
02. आदिवासी बाहुल्य दरु म्य क्षेत्र के लिए भी उच्च शिक्षा सहज सुलभ हो इसके लिए सक्रिय प्रयास करना।
03. विभिन्न सामाजिक वर्ग, आयु, लिंग, भाशा, धर्म, क्षेत्रियता से परे सबको उच्च शिक्षा के सामान अवसर प्रदान करना।
04. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का लक्ष्य निर्धारित करना।
05. जिम्मेदार नागरिक बनाना।

प्राचार्य
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा
जिला–बालोद (छ.ग.)

...महाविद्यालय का इतिहास...

शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौंडी लोहारा की स्थापना वर्ष जुलाई 2006 से की गई है। यह महाविद्यालय राजनांदगांव से दल्लीराजहरा रोड पर 35 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। महाविद्यालय में तीन संकाय है कला, वाणिज्य एवं विज्ञान (बॉयो, माइक्रो बॉयोलाजी व गणित) में स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए. राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास व हिन्दी साहित्य विषय पर अध्ययन की व्यवस्था है। यह महाविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्याल, दुर्ग से संबंध है।

महाविद्यालय में खेल मैदान एवं महाविद्यालय स्वयं का भवन निर्मित है। शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक ईकाई संचालित है।

लक्ष्य एवं उद्देश्यः—

1. छात्र—छात्राओं को सहज एवं कम खर्च में अच्छी शिक्षा प्रदान करना।
2. विद्यार्थियों की लेखन शैली का विकास करना।
3. विद्यार्थियों में लिखित एवं मौखिक सम्प्रेषण कला का विकास करना।
4. महाविद्यालय में विद्यार्थियों को सामाजिक, नैतिक एवं सृजनात्मक गुणों का विकास करना।
5. रोजगार उपलब्ध कराना।
6. सामाजिक समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बनाना।
7. विद्यार्थियों में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों के प्रति विशेष जोर देना।
8. ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा प्रदान करना।

डॉ. आर.के. जैन
प्राचार्य
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डी—लोहारा
जिला—बालोद, छत्तीसगढ़

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं निर्धारित स्थान महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं विषय

क्र.	पाठ्क्रम	विषय
विज्ञान संकाय		
1.	बी.एस.सी. – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन विषय समूह – रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र
2.	बी.एस.सी. – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन विषय समूह – रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र
3.	बी.एस.सी. – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन विषय समूह – रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र
वाणिज्य संकाय		
1.	बी.कॉम – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन अन्य सभी अनिवार्य विषय
2.	बी.कॉम – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन अन्य सभी अनिवार्य विषय
3.	बी.कॉम – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन अन्य सभी अनिवार्य विषय
कला संकाय		
1.	बी.ए. – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास
2.	बी.ए. – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास
3.	बी.ए. – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास
4.	एम.ए.पूर्व एवं अंतिम	हिन्दी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र

महाविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान–

क्र.	कक्षा	उपलब्ध स्थान
1.	बी.कॉम. प्रथम वर्ष	60
2.	बी.ए. प्रथम वर्ष	200
3.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (माइक्रोबायोलाजी – बायो.)	100 (30 माइक्रो–70 बायो.)
4.	बी.एस.सी. गणित	30
5.	एम.ए.पूर्व अर्थशास्त्र	30
6.	एम.ए.पूर्व हिन्दी	30
7.	एम.ए.पूर्व – इतिहास	25
8.	एम.ए.पूर्व – राजनीति विज्ञान	25

प्रवेश के संबंध में सामान्य दिशा निर्देशः–

1. प्रवेश के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका के नियम लागू होंगे तथा इन नियमों में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन/संशोधन भी लागू होगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों जमा करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा यह सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जावेगी।
3. महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी शासन द्वारा जारी निर्देश प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर ही लागू होगा।
4. किसी भी स्थिति में मूल स्थानांतरण प्रणाम पत्र (टी.सी) के बिना प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
5. प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रवेश लेते समय कक्षा 10वीं से लेकर प्रवेश प्राप्त करने वाली कक्षा के पूर्व कक्षा तक कक्षाओ के प्रमाणित अंक सूचियो एवं चरित्र प्रमाण पत्र व टी.सी. के के साथ दो पासपोर्ट आकार फोटो जमा करना होगा।
6. अन्य विश्वविद्यालय के प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रकरण पर छात्रों को स्थान रिक्त होने पर विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लाने के पश्चात ही प्रवेश पर विचार किया जा सकेगा।
7. अंतिम तिथि के पश्चात सीट रिक्त होने पर/अगली सूची होने के पूर्व 100/- विलब शुल्क छात्र/छात्राओं को देय होगा।
8. प्रवेश प्राप्ति के उपरांत नये छात्रो को विश्वविद्यालय का नामांकन पत्र अनिवार्य रूप से भरकर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा छात्रों का नियमित प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अमान्य किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय में प्रवेशित नये छात्रो को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने के लिए 75% की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
10. महाविद्यालय में मोबाईल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
11. विद्यार्थी अपना परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राध्यापकों को अवलोकन करावें।
12. छात्रवृत्ति चाहने वाले छात्र सूचना पटल मे प्रदर्शित की अंतिम तिथि के पूर्व अपनी सभी औपचारिकताये पूर्ण कर आवेदन जमा करे।
13. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः पतिबंधित है, रैगिंग में संलग्न पाये गये छात्रों पर निम्नानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। जिसमें सजा एवं महाविद्यालय से निष्काशीत भी किया जा सकता है।
14. महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही छात्र/छात्राओं एवं पाल्य को रैकिंग में संलग्न नहीं होने संबंधी शपथ पत्र नोटरी कराकर जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्तिः–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश कमांक–6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपटित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करनाः–

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अस्थाई प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित, निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओ में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में, पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा इसे प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करनाः–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परीणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये। किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदन ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्याय में नियमानुसार किसी में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा।

आवेदक ''ख'' में स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायो के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जावेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा ''उच्चशिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिनियम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावें। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समुह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समुह का निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची:–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण–पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र ''प्रवेश दिया गया'' रदद् की मोहर लगाकर उसे रदद् करना चाहियें।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण–प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायें।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नही दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो। प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से भी वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र–छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षाः–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मिर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेशः–

(क) 10+2 परीक्षा आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगाा। बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ख) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेशः–

(क) बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/बी0ए0 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एम0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/एम0ए0पूर्व0/प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी0एस0सी0 उत्तीर्ण आवेदकों को एम0एस0–सी/ एम0ए0पूर्व0 में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर नियमित प्रवेश की पात्रता होगीं।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए0टी0के0टी0 **(Allowed to keep Term)** नियमः–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए0टी0के0टी0 (Allowed to keep Term) नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेशः–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर एवं एल0एल0एम0 प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर एवं एल0एल0एम0 द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सेमेस्टर में भी चालू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमाः–

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 %) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55% अंक पाप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षाः–

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) इंडियन कौन्सिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय का संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNU को छोड़कर) जो दूरदर्शी पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नही है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं. जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कों

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेशः–

7.1 स्नातक स्तर तक बी0ए0/बी0कॉम0/बी0एस0सी0/बी0एच0एस.–सी0 में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु, सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समुहों में आवेदकों नें पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावें। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जायें।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाद्यिलयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाद्यिलयों से स्नातकोत्तर पूर्व कह परीक्षा या प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वि”यों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य कि बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंजो का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं प्रायोगिक विशयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाद्यिालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धरित भाुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थाई प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अस्थाई प्रवेश लेना अनिवार्य होनाः–

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में पूरक परीक्षा(कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटीकेटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएंः–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं को उसी संकाय की उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेग, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा भापथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मेंउसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही निम्नानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो न्यायालय में अपारधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नश्ट करने वाले/रैगिंग के आरोप छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकश्त है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं रिपोर्ठ के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जायें।

ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी भाासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावें।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमाः–

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्श में 22 वर्श स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्श में 27 वर्श से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदक आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों विदेश सरकार द्वारा अनुसंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कष्ट महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर प्रथम वर्ष पर 25 एवं स्नातकोत्तर पूर्व प्रथम सेमेस्टर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांक विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्श की छूट रहेगी।

9.5 पूर्वकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10.प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारणः–

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगाः–

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्रान्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बंध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

11.प्रवेश हेतु प्राथमिकताः–

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी, परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी छात्रों के कमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के कम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के उत्तीर्ण परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसा आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समुह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा किसी एक विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12.आरक्षणः– छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नानुसार रीति से होगा, अर्थात्:–
(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।
परंतु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धा के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

परंतु यह और की पूर्वगामी परंतु में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहॉ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क0–12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा

समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनो वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत् अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही रहेगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि की प्रवेश दिया जाए ताकि न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

13. अधिभारः–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट्स :–
स्काउट शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावें।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ब'' सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत
(ग) ''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(ड) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0 कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(च) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(छ) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत

(ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ट एन.सी.सी. केडेड — 10 प्रतिशत

(झ) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेड भारत एवं अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0 के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को — 10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्क्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर— — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/ क्विज/ रूपांकन प्रतियोगिताएं:—

(1) लोक शिक्ष्ण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में:—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिका 13.1 में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियागिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए0आई0 यू0 द्वारा आयोजित प्रतियोगिता क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अभवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरेार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में:—

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को— — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्य को— — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म0प्र0 मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :

(क) छत्तीसगढ़/म0प्र0 का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों कों— — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्याहनः—

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन0सी0सी0/खेलकूद करे प्रोत्साहन देने के लिए एन0सी0सी0 के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलत्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों

को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है किः–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियो को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुरक्षा दूसरी बार प्राप्त काने के लिए उन्हे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष मे हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एव स्नातकोत्तर द्वितीय मे प्रवेश हेतु पूर्व सत्र प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तनः–

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परिक्षा के संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुनानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्ताको पर देय होगा। महाविद्यालय मे स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष मे एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरन संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावया की अतिम तिथि से 15 दिनो जक दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियो को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध पत्रः–

शासकीय महाविद्यालयो मे पी0एच0डी0 के शोध छात्रो को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपर वाइजर की अनुशंसा कर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेगे। छात्र निर्धारित आवेदन करेगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्रों के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइमर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ठ प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय मे पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थातरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था मे अपना शोध कार्य चालू रख सकते है जहा से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेषः–

16.1 जाली प्रमाण–पत्रो, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य पर होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना कि बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिभार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कण्डिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्याार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उरसे निष्कासित करने का अधिभार प्राचार्य का होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थियों का महाविद्यालय छोड़ने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि कि अतिरिक्त अन्स कोई शुल्क वापिय नही किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिध्दांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शक आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जायें।

16.6 इन मार्गदर्शक सिध्दांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिभार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शन सिध्दांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपुर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अनुशासन तथा उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियमः–

क. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश क. 7 की धारा 13 अनुसार महाविद्यालय के छात्रों द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है! अनुशासन के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रवाधान है (1) निलंबन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक (4) रेस्टीगेशन।

ख. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश कमांक 6 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय) छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75% उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जावेगा।

महाविद्यालय कार्यालय में आवेदन पत्र पहुचने की अंतिम तिथि :–

विभिन्न कक्षाओं में पत्रों प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि का निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जावेगी। अतः छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निरंतर महाविद्यालय के सूचना पटल का अवलोकन करते रहे एवं निर्देशानुसार आपूर्तियां पूरी की जावेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र–

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मुल प्रति) 2. अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि 3. चरित्र प्रमाण पत्र जिन छात्रों ने निजी परीक्षार्थी के रूप में विगत परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा गैप प्रमाण पत्र 4. अन्य राज्यों/विश्वविद्यालयों से आये प्रवेशार्थियों के लिए संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण

पत्र 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़ा जाति, विकलां छात्र। म.प्र. शासन के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र (निर्धरित प्रारूप में)

6. अन्य प्रमाण पत्र (क्रीड़ा एन.सी.सी. आदि) जो वांछित हो। विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पुर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना सुची के आवेदन पत्र नही किये जा सकेंगे। 7. आधार कार्ड की सत्यप्रतिलिपि 8. बैंक खाते के पास बुक में प्रथम पृष्ठ की सत्यप्रतिलिपि

पुस्तकालय

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाभप्रद पुस्तके है। जिसमें स्नातक कक्षा के विद्यार्थी लाभांवित होते है। महाविद्यालय द्वारा कई प्रमुख समाचार पत्र साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएँ मँगवाई जाती है। महाविद्यालय में वाचनालय कक्ष (रीडिंग रूम) है। जिसके प्रतिदिन खुलने का समय सत्र प्रारंभ में सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की सुरक्षा है। पुस्तके लेते समय अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होगा।

पुस्तकालय का सामान्य नियम–

1. स्नातक कक्षा के छात्र एक समय में पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए एक प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार पुस्तकालय से पुस्तकों का लेन–देन करना होगा।
2. छात्रों को चाहिए कि पुस्तके निर्गमित कराते समय वे पुस्तकों का सावधानीकपूर्वक निरीक्षण कर ले और पुस्तको के पृष्ठ कटें– फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रंथपाल/सहायक ग्रन्थालय को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा ले।
3. पुस्तकालय की पुस्तको में लिखना/रेखांकित करना/पृष्ठ निकालना या किसी की क्षति पहुंचाना दण्डनीय है।
4. पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों की परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व वापस किया जाना आवश्यक होता है किन्तु जिन छात्रों जिन छात्रों को पुस्तके नही लौटानी हो वे अवधान हो वे अवधान राशि एवं तत्संबधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तके परीक्षा समाप्ति तक अपने पास रख सकते है। अवधान राशि पुस्तके जमा करने पर वापस लौटी दी जावेगी।
5. छात्र–छात्राओ को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सुचनाओं से स्वतः अवगत होते रहें।

शुल्क विवरण

महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र को जो शुल्क देना होगा वे निम्नलिखित है:–

शिक्षण शुल्क जुलाई से मार्च (प्रति सत्र)		शिक्षण शुल्क जुलाई से मार्च (प्रति सत्र)	
स्नातक (बी.एस.सी.)	115.00	छात्र कामन रूम (ग्रंथालय शुल्क)	20.00
बी.ए./बी.कॉम.	115.00	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00
प्रायोगिक शुल्क	20.00	शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
प्रवेश शुल्क	3.00	सायकल स्टैन्ड शुल्क	15.00
स्टेशनरी	2.00	छात्र संघ शुल्क	2.00
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5.00	चिकित्सा शुल्क	3.00
परिचय पत्र	5.00	जनभागीदारी शुल्क (स्नातक)	300.00
महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00	परीक्षा शुल्क वि.वि द्वारा अलग से निर्धारित होगा युनिट टेस्ट के लिए स्टेशनरी व्यय	50.00
सम्मिलित निधि शुल्क	32.00		
वार्षिक उत्सव	5.00		
नामांकन शुल्क	150.00		
अप्रवासन शुल्क	220.00		
धरोहर राशि (स्नातक)	60.00		

विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित (विज्ञान/गृहविज्ञान मात्र के लिए) अन्य राज्यो/विश्वविद्यालय से आये छात्रो के लिए 220.00 अप्रवासन शुल्क देय होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश विलंब शुल्क अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा।

स. कॉंशनमनी – प्रत्येक नये छात्र–छात्राओं को प्रवेश के समय निम्नलिखित सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्यः– (1) स्नातक स्तर पर 60.00 2. स्नातकोत्तर पर स्तर पर 100.00

अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षा संबंधी नियमः–

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की अधिसुचना कमांक 198/अति.संचा/3/38, भोपाल दिनाँक 17 मई 1988 के अंतर्गत बी.ए./ बी.एस.सी. की प्रायोगिक कक्षा में प्रवेश पाने वाले अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के प्रवेश नियमित छात्रों के प्रवेश के साथ होंगे। अब प्रत्येक सत्र मे यह अतिरिक्त महाविद्यालयीन सत्रारंभ से 6 माह के लिए होगी। तदनुसार शुल्क भी अब 6 माह के लिए लिया जावेगा। ऐसे महाविद्यालयीन छात्र/छात्राए प्रायवेट श्रेणी के अंतर्गत महाविद्यालय का प्रवेश फॉर्म भरेंगे तथा प्रवेश पाने पर निर्धारित शुल्क जमा करेंगे। निर्धारित शुल्क की सूचना तथा प्रवेश सूची अलग से यथासमय सूचित की जावेगी। अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के 6 माह प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थित होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। स्वाध्यायी आवेदको को केवल बी.ए./ बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रायोगिक सुविधा मिलेगी।

अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं हेतु अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए शुल्क विवरणः–

शासकीय शुल्क	–	20.00
विज्ञान विषयों के लिए	–	60.00 (प्रत्येक विषय हेतु)
भूगोल	–	60.00
अध्यापन शुल्क	–	60.00
सुरक्षा निधि राशि	–	60.00 (स्नातक) 100.00 (एम.ए.)
महाविद्यालय विकास शुल्क	–	25.00
सायकल स्टैण्ड शुल्क	–	15.00
जनभागीदारी शुल्क (कला संकाय)	–	300.00
जनभागीदारी शुल्क (विज्ञान संकाय)	–	300.00

महाविद्यालय छोड़ते समय उक्त सुरक्षा निधि की राशि अदेयता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कारने पर लौटा दिया जाएगा, किन्तु राशि प्राप्त करने हेतु मुल रसीद जिसके द्वारा काशनमनी जमा है, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि माह में 15 तारीख को रविवार हो अथवा अवकाश हो तो ऐसी स्थिति में शुल्क का भुगतान 14 तारीख तक कर देना होगा।

टीपः– (1) शिक्षण शुल्क प्रवेश शुल्क के साथ एक मुश्त देय होगा। (2) यदि कोई आवेदक प्रवेश के निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नही करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा। (3) महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के पश्चात् प्रत्येक छात्र–छात्राओं को प्रवेश को प्रवेश पत्र दिया जावेगा। (4) प्रवेश शुल्क जमा करने के समय आवेदक को पासपोर्ट साईज फोटो दो प्रतियो में जमा करना अनिवार्य है। (5) परीक्षा संबंधी नियम की कंडिका क्रमांक 1 के तहत प्रवेशित प्रत्येक छात्र–छात्राओं को युनिट टेस्ट के लिये रूपये 50.00, स्टेशनरी व्यय के लिये जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि प्रवेश शुल्क के शुल्क के साथ ही देय होगा।

अमानत राशि प्राप्त करने के नियमः–

1. अमानत राशि मिलने के लिए आवेदन पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में 10 दिन पूर्व जमा करना होगा।
2. विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अन्दर राशि वापस करने हेतु आवेदन देना होगा। तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर अमानत राशि निम्नानुसार राजसात हो जायेगी।
3. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण–पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के पश्चात राशि दी जायेगी।
4. परिचय पत्र एवं रसीद के अभाव में धरोहर राशि का भुगतान नही किया जायेगी।

शुल्क संबंधी रियायतेंः–

शुल्क संबंधी निम्नलिखित रियासतें केवल पूर्णकालीन (फुलटाईम) छात्रों को ही मिल सकेगी। इसके अन्तर्गत केवल शिक्षण शुल्क में रियासतें दी जाती है। इस नियम के अधीन निम्नलिखत रियायतें मिलती है।

क्र. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रियासतें : – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है। किन्तु अन्य समस्त शुल्क उन्हें देने होंगे इसके लिए जिलाधीश से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ख. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियो (परिवार के अन्य सदस्य नहीं) शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है व अन्य समस्त शुल्क उन्हें पूरे देने होंगे।

यह रियायत छात्र को जिस कार्यालय में उसके पिता या माता सेवारत हो उसे कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी की प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकेगी। मध्यप्रदेश भाासन उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञापन क. 1607/1886/बजट 86 भोपाल दिनांक 6.5.86 के अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य के ऐसे द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी जो चौधरी वेतमान में रू. 1450/– तक वंतन प्राप्त कर रहे हैं उनके बच्चों को शिक्षण शुल्क से छुट राज्य शासन के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के समान इस विभाग के ज्ञापन कमांक 2246/3236/बी–9/72 दिनांक 4.5.73 सहपठित ज्ञापन 2646/3909/बी–9–73 दिनांक 10.8.73 में उल्लेखित भर्ती के अनुसार रहेगी। यह आदेश रहेगी। यह आदेश 1 जुलाई 86 से प्रभावशाली रहेंगे। जिन द्वितीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा चौधरी वेतनमान स्वीकार नही किया गया है व उनके बच्चो के संबंध में शिक्षण शुल्क में छुट पूर्व आदेशों के अनुसाार ही रहेगी।

ग. बहन–भाई होने के कारण सुविधा– यदि दो या इससे अधिक भाई इस विद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते है तो उनमें से सबसे बड़े भाई को पूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा।

घ. कृषकों के बच्चों को रियायतेः– इस छुट का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित को जिलाधीश अथवा सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में एक तिहाई की छुट प्रदान की जा सकेगी जिनके पिता की वार्षिक आय 6000/– से अधिक न हो। शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

प्रवेश सह – शुल्क पत्र एवं उसका उपयोगः–

छात्र को भाुल्क भुगतान करते यमय प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रों के हित मे है कि वे कार्यालय में शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की जॉच अच्छी तरह से कर ली प्रवेश पत्र में संबंधित प्रविष्टियॉ की गई है तथा शुल्क संग्राहक लिपिक के द्वारा हस्ताक्षरित भी हुई है। मूल प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्रों को दंडात्मक 40.00 रू. शुल्क जमा कर प्रवेश पत्र द्वितीय प्रति (डूप्लीकेट) प्राप्त करना होगा।

अन्य सुविधाएँः–

क. पुस्तकालयः– महाविद्यालय में वाचनालय की सुविधा है। छात्रों को एक बार में एक माह की अवधि के लिए एक पुस्तक निर्गमित की जाती है। पुस्तकालय में पाठ्यकम की पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए विविध श्रेणी की पुस्तकें है। पुस्तकालय का संचालन पुस्तकालय पहचान पत्र में दिये गये नियमों के अधिन होता है। पुस्तकालय में लगभग 1500 पुस्तके उपलब्ध है साथ ही कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ भी उपलब्ध है।

ख. बुक बैकः– इससे अंतर्गत छात्रों/नागरिकों द्वारा दान में प्रदत्त पुस्तके जमा की जाती है। शासन द्वारा बी.पी.एल. बुक बैक योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीच जीवन यापन करने वालो को उपलब्ध कराई जाती है।

ग. अनुजाति/अनुजनजाति/पिछड़ा वर्ग सहायता योजनाः–शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से चयनित पुस्तके तथा लेखन सामग्री इसके अंतर्गत इस वर्ग के छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है।

घ. छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाः– भारत शासन तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अनेक प्रकार छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया है।

ङ. छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाः– भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार छात्रवृत्तियॉ दी जाती है

1. एकीकृत छात्रवृत्ति
2. अनुजाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु शासन के निर्देशानुसार
3. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति

परिचय पत्र एवं उनका उपयोगः–

परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही महाविद्यालय पुस्तकालय से पुस्तकें छात्र को दी जावेगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र समय अथवा सुरक्षित निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र करना होगा। अतएव सभी छात्र अपने परिचय पत्र सावधानी के साथ रखें।

शिक्षक अभिवाभक योजना :–

शिक्षक अभिवाभक योजना के अंतर्गत छात्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु महाविद्यालयो के शिक्षकों को छात्रों के अभिभावकों की भूमिका दी जाती है। छात्रों की शैक्षिणक प्रगति, अभिरूचि, उपस्थिति एवं शैक्षिणोत्तर गतिविधियों की जानकारी लेकर अभिलेख तैयार किया जाता है जिससें छात्रो के समन्वित विकास का कार्य किया जा सके। प्रवेश के समय छात्रों को अपना शिक्षक अभिवावक अभिलेख भरकर प्रवेश प्रभारियो के पास जमा करना होगा। शिक्षक अभिलेख का प्रारूप प्रवेश फार्म के साथ संलग्न है।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्रः–

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानो में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यो को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर उसके पालक या अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।
6. महाविद्यालय की सीमाओ में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।
7. महाविद्यालय में इधर उधर थुकना, दीवालों को गंदा करना, गदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीति दलों, कार्यकताओं अथवा समाचार पत्रों का सकारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

10. छात्र–छात्रायें सदैव अपना महाविद्यालय का परिचय पत्र साथ रखे तथा जब भी आवश्यकता हो प्रस्तुत करे परिचय पत्र न होने की स्थिति में महाविद्यालय में चालू वर्ष की फीस की प्रस्तुत करें।

11. कक्षाओं में अध्यापन के समय बरामदो में न घूमे तथा किसी तरह बाधा न पहुचाये। प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी के लिए आचरण संहिताः–

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमो का अक्षरश : पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

01. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।

02. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

03. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली, गलौच मारपीट नही करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

6. प्रत्येक विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगा अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।

7. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणो का प्रयोग सावधानीकपूर्वक करेगा।

8. महाविद्यालय में पंखें, लाइट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फीटींग की तोड़फोड़ करना दण्डनीय आचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय का अधिकार क्षेत्रः'–

1. यदि छात्र गंभीर अपराध में संलग्न पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
3. यदि विद्यार्थी आवेदन पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में रैगिंग निरोधः–

रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है

कोलाहलपूर्ण, अनुचित व्यवहार करना चिढ़ाना भद्दे या अशिष्ट आचरण करना उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में सलग्न होना जिससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रो से ऐसा कार्य करने के लिए कहना जो छात्र–छात्रा सामान्यता नही कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

रैगिंग में कोई छात्र लिप्ट पाये जाने पर निम्नानुसार दण्ड के प्रावधान हैः–

1. प्रवेश निरस्तुत किया जाना
2. कक्षा/छात्रावास से निश्कासित किया जाना
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परिक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तथा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध
7. संस्था से रेस्टीकेट करना
8. आर्थिक दण्ड 25000/– तक

PROSPECTUS

GOVERNMENT EKLAVYA COLLEGE

DondiLohara , Dalli Rajhara Road, District:Balod, Chhattisgarh, India, PIN:491771

www.gecdl.in

Email: govtcollegelohara@gmail.com, college@gecdl.in

Landline: +91 07748264001

Affiliation: Hemchand Yadav University, Durg, Chhattisgarh, India

Session : 2019-20

प्राचार्य का संदेश .....

मानव संसाधन के विकास और कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा की उपलब्धता आवश्यक हैं। इसके बिना भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और दोहन संभव नहीं हैं। सुदूर आदिवासी अंचलों तथा दुरम्य वन क्षेत्रों उच्च शिक्षा का दीप प्रज्वलित हो रहा है। हमारी यह यात्रा अनवरत जारी है। यह शिक्षण संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है। हमारी ऑखों में भविष्य का एक विराट स्वप्न झिलमिला रहा है। यह शिक्षण संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत हैं।

हमारा लक्ष्य –

01. उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं तक पहुंचाना।
02. आदिवासी बाहुल्य दरु म्य क्षेत्र के लिए भी उच्च शिक्षा सहज सुलभ हो इसके लिए सक्रिय प्रयास करना।
03. विभिन्न सामाजिक वर्ग, आयु, लिंग, भाशा, धर्म, क्षेत्रियता से परे सबको उच्च शिक्षा के सामान अवसर प्रदान करना।
04. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का लक्ष्य निर्धारित करना।
05. जिम्मेदार नागरिक बनाना।

प्राचार्य
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा
जिला–बालोद (छ.ग.)

...महाविद्यालय का इतिहास...

शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौंडी लोहारा की स्थापना वर्ष जुलाई 2006 से की गई है। यह महाविद्यालय राजनांदगांव से दल्लीराजहरा रोड पर 35 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। महाविद्यालय में तीन संकाय है कला, वाणिज्य एवं विज्ञान (बॉयो, माइक्रो बॉयोलाजी व गणित) में स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए. राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास व हिन्दी साहित्य विषय पर अध्ययन की व्यवस्था है। यह महाविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्याल, दुर्ग से संबंध है।

महाविद्यालय में खेल मैदान एवं महाविद्यालय स्वयं का भवन निर्मित है। शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक ईकाई संचालित है।

लक्ष्य एवं उद्देश्यः—

1. छात्र—छात्राओं को सहज एवं कम खर्च में अच्छी शिक्षा प्रदान करना।
2. विद्यार्थियों की लेखन शैली का विकास करना।
3. विद्यार्थियों में लिखित एवं मौखिक सम्प्रेषण कला का विकास करना।
4. महाविद्यालय में विद्यार्थियों को सामाजिक, नैतिक एवं सृजनात्मक गुणों का विकास करना।
5. रोजगार उपलब्ध कराना।
6. सामाजिक समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बनाना।
7. विद्यार्थियों में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों के प्रति विशेष जोर देना।
8. ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा प्रदान करना।

डॉ. आर.के. जैन
प्राचार्य
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डी—लोहारा
जिला—बालोद, छत्तीसगढ़

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं निर्धारित स्थान महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं विषय

क्र.	पाठ्क्रम	विषय
विज्ञान संकाय		
1.	बी.एस.सी. – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन विषय समूह – रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र
2.	बी.एस.सी. – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन विषय समूह – रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र
3.	बी.एस.सी. – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन विषय समूह – रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्मजीव विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र
वाणिज्य संकाय		
1.	बी.कॉम – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन अन्य सभी अनिवार्य विषय
2.	बी.कॉम – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन अन्य सभी अनिवार्य विषय
3.	बी.कॉम – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन अन्य सभी अनिवार्य विषय
कला संकाय		
1.	बी.ए. – प्रथम वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास
2.	बी.ए. – द्वितीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास
3.	बी.ए. – तृतीय वर्ष	अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन ऐच्छिक विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास
4.	एम.ए.पूर्व एवं अंतिम	हिन्दी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र

महाविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान–

क्र.	कक्षा	उपलब्ध स्थान
1.	बी.कॉम. प्रथम वर्ष	60
2.	बी.ए. प्रथम वर्ष	200
3.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (माइक्रोबायोलाजी – बायो.)	100 (30 माइक्रो–70 बायो.)
4.	बी.एस.सी. गणित	30
5.	एम.ए.पूर्व अर्थशास्त्र	30
6.	एम.ए.पूर्व हिन्दी	30
7.	एम.ए.पूर्व – इतिहास	25
8.	एम.ए.पूर्व – राजनीति विज्ञान	25

प्रवेश के संबंध में सामान्य दिशा निर्देशः–

1. प्रवेश के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका के नियम लागू होंगे तथा इन नियमों में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन/संशोधन भी लागू होगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों जमा करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा यह सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जावेगी।
3. महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी शासन द्वारा जारी निर्देश प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर ही लागू होगा।
4. किसी भी स्थिति में मूल स्थानांतरण प्रणाम पत्र (टी.सी) के बिना प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
5. प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रवेश लेते समय कक्षा 10वीं से लेकर प्रवेश प्राप्त करने वाली कक्षा के पूर्व कक्षा तक कक्षाओ के प्रमाणित अंक सूचियो एवं चरित्र प्रमाण पत्र व टी.सी. के के साथ दो पासपोर्ट आकार फोटो जमा करना होगा।
6. अन्य विश्वविद्यालय के प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रकरण पर छात्रों को स्थान रिक्त होने पर विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लाने के पश्चात ही प्रवेश पर विचार किया जा सकेगा।
7. अंतिम तिथि के पश्चात सीट रिक्त होने पर/अगली सूची होने के पूर्व 100/- विलब शुल्क छात्र/छात्राओं को देय होगा।
8. प्रवेश प्राप्ति के उपरांत नये छात्रो को विश्वविद्यालय का नामांकन पत्र अनिवार्य रूप से भरकर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा छात्रों का नियमित प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अमान्य किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय में प्रवेशित नये छात्रो को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने के लिए 75% की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
10. महाविद्यालय में मोबाईल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
11. विद्यार्थी अपना परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राध्यापकों को अवलोकन करावें।
12. छात्रवृत्ति चाहने वाले छात्र सूचना पटल मे प्रदर्शित की अंतिम तिथि के पूर्व अपनी सभी औपचारिकताये पूर्ण कर आवेदन जमा करे।
13. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः पतिबंधित है, रैगिंग में संलग्न पाये गये छात्रों पर निम्नानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। जिसमें सजा एवं महाविद्यालय से निष्काशीत भी किया जा सकता है।
14. महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही छात्र/छात्राओं एवं पाल्य को रैकिंग में संलग्न नहीं होने संबंधी शपथ पत्र नोटरी कराकर जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्तिः–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश कमांक–6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपटित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करनाः–

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अस्थाई प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित, निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओ में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में, पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा इसे प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करनाः–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परीणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये। किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदन ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्याय में नियमानुसार किसी में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा।

आवेदक ''ख'' में स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायो के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जावेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा ''उच्चशिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिनियम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावें। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समुह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समुह का निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची:–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण–पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र ''प्रवेश दिया गया'' रदद् की मोहर लगाकर उसे रदद् करना चाहियें।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण–प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायें।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नही दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो। प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से भी वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र–छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षाः–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मिर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेशः–

(क) 10+2 परीक्षा आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगाा। बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ख) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेशः–

(क) बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/बी0ए0 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एम0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/एम0ए0पूर्व0/प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी0एस0सी0 उत्तीर्ण आवेदकों को एम0एस0–सी/ एम0ए0पूर्व0 में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर नियमित प्रवेश की पात्रता होगीं।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए0टी0के0टी0 **(Allowed to keep Term)** नियमः–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए0टी0के0टी0 (Allowed to keep Term) नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेशः–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर एवं एल0एल0एम0 प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर एवं एल0एल0एम0 द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सेमेस्टर में भी चालू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमाः–

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 %) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक पाप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षाः–

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) इंडियन कौन्सिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय का संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNU को छोड़कर) जो दूरदर्शी पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नही है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं. जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कों

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेशः–

7.1 स्नातक स्तर तक बी0ए0/बी0कॉम0/बी0एस0सी0/बी0एच0एस.–सी0 में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु, सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समुहों में आवेदकों नें पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावें। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जायें।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाद्यिलयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाद्यिलयों से स्नातकोत्तर पूर्व कह परीक्षा या प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वि" यों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य कि बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंजो का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं प्रायोगिक विशयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाद्यिालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धरित भाुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थाई प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अस्थाई प्रवेश लेना अनिवार्य होनाः–

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में पूरक परीक्षा(कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटीकेटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएंः–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं को उसी संकाय की उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेग, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा भापथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मेंउसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही निम्नानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो न्यायालय में अपारधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नश्ट करने वाले/रैगिंग के आरोप छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकश्त है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं रिपोर्ठ के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जायें।

ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी भाासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावें।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमाः–

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्श में 22 वर्श स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्श में 27 वर्श से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदक आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों विदेश सरकार द्वारा अनुसंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कष्ट महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर प्रथम वर्ष पर 25 एवं स्नातकोत्तर पूर्व प्रथम सेमेस्टर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांक विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्श की छूट रहेगी।

9.5 पूर्वकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10.प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारणः–

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगाः–

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्रान्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बंध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

11.प्रवेश हेतु प्राथमिकताः–

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी, परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी छात्रों के कमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के कम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के उत्तीर्ण परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसा आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समुह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा किसी एक विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12.आरक्षणः– छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नानुसार रीति से होगा, अर्थात्:–
(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।
परंतु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धा के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

परंतु यह और की पूर्वगामी परंतु में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहॉ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क0–12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा

समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनो वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत् अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही रहेगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि की प्रवेश दिया जाए ताकि न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

13. अधिभारः–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट्स :–
स्काउट शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावें।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ब'' सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत
(ग) ''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(ड) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0 कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(च) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(छ) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत

(ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ट एन.सी.सी. केडेड — 10 प्रतिशत

(झ) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेड भारत एवं अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0 के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को — 10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्क्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर— — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/ क्विज/ रूपांकन प्रतियोगिताएं:—

(1) लोक शिक्ष्ण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में:—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिका 13.1 में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियागिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए0आई0 यू0 द्वारा आयोजित प्रतियोगिता क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अभवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरेार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में:—

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को— — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्य को— — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म0प्र0 मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :

(क) छत्तीसगढ़/म0प्र0 का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों कों— — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्याहनः—

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन0सी0सी0/खेलकूद करे प्रोत्साहन देने के लिए एन0सी0सी0 के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलत्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों

को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है किः–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियो को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुरक्षा दूसरी बार प्राप्त काने के लिए उन्हे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष मे हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एव स्नातकोत्तर द्वितीय मे प्रवेश हेतु पूर्व सत्र प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तनः–

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परिक्षा के संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुनानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्ताको पर देय होगा। महाविद्यालय मे स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष मे एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरन संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावया की अतिम तिथि से 15 दिनो जक दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियो को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध पत्रः–

शासकीय महाविद्यालयो मे पी0एच0डी0 के शोध छात्रो को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपर वाइजर की अनुशंसा कर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेगे। छात्र निर्धारित आवेदन करेगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्रों के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइमर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ठ प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय मे पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थातरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था मे अपना शोध कार्य चालू रख सकते है जहा से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेषः–

16.1 जाली प्रमाण–पत्रो, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य पर होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना कि बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिभार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कण्डिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्याार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उरसे निष्कासित करने का अधिभार प्राचार्य का होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थियों का महाविद्यालय छोड़ने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि कि अतिरिक्त अन्स कोई शुल्क वापिय नही किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिध्दांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शक आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जायें।

16.6 इन मार्गदर्शक सिध्दांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिभार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शन सिध्दांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपुर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अनुशासन तथा उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियमः–

क. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश क. 7 की धारा 13 अनुसार महाविद्यालय के छात्रों द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है! अनुशासन के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रवाधान है (1) निलंबन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक (4) रेस्टीगेशन।

ख. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश कमांक 6 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय) छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75% उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जावेगा।

महाविद्यालय कार्यालय में आवेदन पत्र पहुचने की अंतिम तिथि :–

विभिन्न कक्षाओं में पत्रों प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि का निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जावेगी। अतः छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निरंतर महाविद्यालय के सूचना पटल का अवलोकन करते रहे एवं निर्देशानुसार आपूर्तियां पूरी की जावेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र–

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मुल प्रति) 2. अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि 3. चरित्र प्रमाण पत्र जिन छात्रों ने निजी परीक्षार्थी के रूप में विगत परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा गैप प्रमाण पत्र 4. अन्य राज्यों/विश्वविद्यालयों से आये प्रवेशार्थियों के लिए संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण

पत्र 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़ा जाति, विकलां छात्र। म.प्र. शासन के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र (निर्धरित प्रारूप में)

6. अन्य प्रमाण पत्र (क्रीड़ा एन.सी.सी. आदि) जो वांछित हो। विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पुर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना सुची के आवेदन पत्र नही किये जा सकेंगे। 7. आधार कार्ड की सत्यप्रतिलिपि 8. बैंक खाते के पास बुक में प्रथम पृष्ठ की सत्यप्रतिलिपि

पुस्तकालय

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाभप्रद पुस्तके है। जिसमें स्नातक कक्षा के विद्यार्थी लाभांवित होते है। महाविद्यालय द्वारा कई प्रमुख समाचार पत्र साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएँ मँगवाई जाती है। महाविद्यालय में वाचनालय कक्ष (रीडिंग रूम) है। जिसके प्रतिदिन खुलने का समय सत्र प्रारंभ में सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की सुरक्षा है। पुस्तके लेते समय अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होगा।

पुस्तकालय का सामान्य नियम–

1. स्नातक कक्षा के छात्र एक समय में पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए एक प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार पुस्तकालय से पुस्तकों का लेन–देन करना होगा।
2. छात्रों को चाहिए कि पुस्तके निर्गमित कराते समय वे पुस्तकों का सावधानीकपूर्वक निरीक्षण कर ले और पुस्तको के पृष्ठ कटें– फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रंथपाल/सहायक ग्रन्थालय को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा ले।
3. पुस्तकालय की पुस्तको में लिखना/रेखांकित करना/पृष्ठ निकालना या किसी की क्षति पहुंचाना दण्डनीय है।
4. पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों की परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व वापस किया जाना आवश्यक होता है किन्तु जिन छात्रों जिन छात्रों को पुस्तके नही लौटानी हो वे अवधान हो वे अवधान राशि एवं तत्संबधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तके परीक्षा समाप्ति तक अपने पास रख सकते है। अवधान राशि पुस्तके जमा करने पर वापस लौटी दी जावेगी।
5. छात्र–छात्राओ को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सुचनाओं से स्वतः अवगत होते रहें।

शुल्क विवरण

महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र को जो शुल्क देना होगा वे निम्नलिखित है:–

शिक्षण शुल्क जुलाई से मार्च (प्रति सत्र)		शिक्षण शुल्क जुलाई से मार्च (प्रति सत्र)	
स्नातक (बी.एस.सी.)	115.00	छात्र कामन रूम (ग्रंथालय शुल्क)	20.00
बी.ए./बी.कॉम.	115.00	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00
प्रायोगिक शुल्क	20.00	शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
प्रवेश शुल्क	3.00	सायकल स्टैन्ड शुल्क	15.00
स्टेशनरी	2.00	छात्र संघ शुल्क	2.00
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5.00	चिकित्सा शुल्क	3.00
परिचय पत्र	5.00	जनभागीदारी शुल्क (स्नातक)	300.00
महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00	परीक्षा शुल्क वि.वि द्वारा अलग से निर्धारित होगा युनिट टेस्ट के लिए स्टेशनरी व्यय	50.00
सम्मिलित निधि शुल्क	32.00		
वार्षिक उत्सव	5.00		
नामांकन शुल्क	150.00		
अप्रवासन शुल्क	220.00		
धरोहर राशि (स्नातक)	60.00		

विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित (विज्ञान/गृहविज्ञान मात्र के लिए) अन्य राज्यो/विश्वविद्यालय से आये छात्रो के लिए 220.00 अप्रवासन शुल्क देय होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश विलंब शुल्क अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा।

स. कॉंशनमनी – प्रत्येक नये छात्र–छात्राओं को प्रवेश के समय निम्नलिखित सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्यः– (1) स्नातक स्तर पर 60.00 2. स्नातकोत्तर पर स्तर पर 100.00

अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षा संबंधी नियमः–

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की अधिसुचना कमांक 198/अति.संचा/3/38, भोपाल दिनाँक 17 मई 1988 के अंतर्गत बी.ए./ बी.एस.सी. की प्रायोगिक कक्षा में प्रवेश पाने वाले अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के प्रवेश नियमित छात्रों के प्रवेश के साथ होंगे। अब प्रत्येक सत्र मे यह अतिरिक्त महाविद्यालयीन सत्रारंभ से 6 माह के लिए होगी। तदनुसार शुल्क भी अब 6 माह के लिए लिया जावेगा। ऐसे महाविद्यालयीन छात्र/छात्राए प्रायवेट श्रेणी के अंतर्गत महाविद्यालय का प्रवेश फॉर्म भरेंगे तथा प्रवेश पाने पर निर्धारित शुल्क जमा करेंगे। निर्धारित शुल्क की सूचना तथा प्रवेश सूची अलग से यथासमय सूचित की जावेगी। अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के 6 माह प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थित होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। स्वाध्यायी आवेदको को केवल बी.ए./ बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रायोगिक सुविधा मिलेगी।

अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं हेतु अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए शुल्क विवरणः–

शासकीय शुल्क	–	20.00
विज्ञान विषयों के लिए	–	60.00 (प्रत्येक विषय हेतु)
भूगोल	–	60.00
अध्यापन शुल्क	–	60.00
सुरक्षा निधि राशि	–	60.00 (स्नातक) 100.00 (एम.ए.)
महाविद्यालय विकास शुल्क	–	25.00
सायकल स्टैण्ड शुल्क	–	15.00
जनभागीदारी शुल्क (कला संकाय)	–	300.00
जनभागीदारी शुल्क (विज्ञान संकाय)	–	300.00

महाविद्यालय छोड़ते समय उक्त सुरक्षा निधि की राशि अदेयता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कारने पर लौटा दिया जाएगा, किन्तु राशि प्राप्त करने हेतु मुल रसीद जिसके द्वारा काशनमनी जमा है, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि माह में 15 तारीख को रविवार हो अथवा अवकाश हो तो ऐसी स्थिति में शुल्क का भुगतान 14 तारीख तक कर देना होगा।

टीपः– (1) शिक्षण शुल्क प्रवेश शुल्क के साथ एक मुश्त देय होगा। (2) यदि कोई आवेदक प्रवेश के निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नही करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा। (3) महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के पश्चात् प्रत्येक छात्र–छात्राओं को प्रवेश को प्रवेश पत्र दिया जावेगा। (4) प्रवेश शुल्क जमा करने के समय आवेदक को पासपोर्ट साईज फोटो दो प्रतियो में जमा करना अनिवार्य है। (5) परीक्षा संबंधी नियम की कंडिका क्रमांक 1 के तहत प्रवेशित प्रत्येक छात्र–छात्राओं को युनिट टेस्ट के लिये रूपये 50.00, स्टेशनरी व्यय के लिये जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि प्रवेश शुल्क के शुल्क के साथ ही देय होगा।

अमानत राशि प्राप्त करने के नियमः–

1. अमानत राशि मिलने के लिए आवेदन पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में 10 दिन पूर्व जमा करना होगा।
2. विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अन्दर राशि वापस करने हेतु आवेदन देना होगा। तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर अमानत राशि निम्नानुसार राजसात हो जायेगी।
3. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण–पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के पश्चात राशि दी जायेगी।
4. परिचय पत्र एवं रसीद के अभाव में धरोहर राशि का भुगतान नही किया जायेगी।

शुल्क संबंधी रियायतेंः–

शुल्क संबंधी निम्नलिखित रियासतें केवल पूर्णकालीन (फुलटाईम) छात्रों को ही मिल सकेगी। इसके अन्तर्गत केवल शिक्षण शुल्क में रियासतें दी जाती है। इस नियम के अधीन निम्नलिखत रियायतें मिलती है।

क्र. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रियासतें : – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है। किन्तु अन्य समस्त शुल्क उन्हें देने होंगे इसके लिए जिलाधीश से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ख. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियो (परिवार के अन्य सदस्य नहीं) शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है व अन्य समस्त शुल्क उन्हें पूरे देने होंगे।

यह रियायत छात्र को जिस कार्यालय में उसके पिता या माता सेवारत हो उसे कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी की प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकेगी। मध्यप्रदेश भाासन उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञापन क. 1607/1886/बजट 86 भोपाल दिनांक 6.5.86 के अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य के ऐसे द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी जो चौधरी वेतमान में रू. 1450/– तक वंतन प्राप्त कर रहे हैं उनके बच्चों को शिक्षण शुल्क से छुट राज्य शासन के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के समान इस विभाग के ज्ञापन कमांक 2246/3236/बी–9/72 दिनांक 4.5.73 सहपठित ज्ञापन 2646/3909/बी–9–73 दिनांक 10.8.73 में उल्लेखित भर्ती के अनुसार रहेगी। यह आदेश रहेगी। यह आदेश 1 जुलाई 86 से प्रभावशाली रहेंगे। जिन द्वितीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा चौधरी वेतनमान स्वीकार नही किया गया है व उनके बच्चो के संबंध में शिक्षण शुल्क में छुट पूर्व आदेशों के अनुसाार ही रहेगी।

ग. बहन–भाई होने के कारण सुविधा– यदि दो या इससे अधिक भाई इस विद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते है तो उनमें से सबसे बड़े भाई को पूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा।

घ. कृषकों के बच्चों को रियायतेः– इस छुट का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित को जिलाधीश अथवा सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में एक तिहाई की छुट प्रदान की जा सकेगी जिनके पिता की वार्षिक आय 6000/– से अधिक न हो। शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

प्रवेश सह – शुल्क पत्र एवं उसका उपयोगः–

छात्र को भाुल्क भुगतान करते यमय प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रों के हित मे है कि वे कार्यालय में शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की जॉच अच्छी तरह से कर ली प्रवेश पत्र में संबंधित प्रविष्टियॉ की गई है तथा शुल्क संग्राहक लिपिक के द्वारा हस्ताक्षरित भी हुई है। मूल प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्रों को दंडात्मक 40.00 रू. शुल्क जमा कर प्रवेश पत्र द्वितीय प्रति (डूप्लीकेट) प्राप्त करना होगा।

अन्य सुविधाएँः–

क. पुस्तकालयः– महाविद्यालय में वाचनालय की सुविधा है। छात्रों को एक बार में एक माह की अवधि के लिए एक पुस्तक निर्गमित की जाती है। पुस्तकालय में पाठ्यकम की पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए विविध श्रेणी की पुस्तकें है। पुस्तकालय का संचालन पुस्तकालय पहचान पत्र में दिये गये नियमों के अधिन होता है। पुस्तकालय में लगभग 1500 पुस्तके उपलब्ध है साथ ही कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ भी उपलब्ध है।

ख. बुक बैकः– इससे अंतर्गत छात्रों/नागरिकों द्वारा दान में प्रदत्त पुस्तके जमा की जाती है। शासन द्वारा बी.पी.एल. बुक बैक योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीच जीवन यापन करने वालो को उपलब्ध कराई जाती है।

ग. अनुजाति/अनुजनजाति/पिछड़ा वर्ग सहायता योजनाः–शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से चयनित पुस्तके तथा लेखन सामग्री इसके अंतर्गत इस वर्ग के छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है।

घ. छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाः– भारत शासन तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अनेक प्रकार छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया है।

ङ. छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाः– भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार छात्रवृत्तियॉ दी जाती है

1. एकीकृत छात्रवृत्ति
2. अनुजाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु शासन के निर्देशानुसार
3. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति

परिचय पत्र एवं उनका उपयोगः–

परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही महाविद्यालय पुस्तकालय से पुस्तकें छात्र को दी जावेगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र समय अथवा सुरक्षित निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र करना होगा। अतएव सभी छात्र अपने परिचय पत्र सावधानी के साथ रखें।

शिक्षक अभिवाभक योजना :–

शिक्षक अभिवाभक योजना के अंतर्गत छात्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु महाविद्यालयो के शिक्षकों को छात्रों के अभिभावकों की भूमिका दी जाती है। छात्रों की शैक्षिणक प्रगति, अभिरूचि, उपस्थिति एवं शैक्षिणोत्तर गतिविधियों की जानकारी लेकर अभिलेख तैयार किया जाता है जिससें छात्रो के समन्वित विकास का कार्य किया जा सके। प्रवेश के समय छात्रों को अपना शिक्षक अभिवावक अभिलेख भरकर प्रवेश प्रभारियो के पास जमा करना होगा। शिक्षक अभिलेख का प्रारूप प्रवेश फार्म के साथ संलग्न है।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्रः–

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानो में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यो को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर उसके पालक या अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।
6. महाविद्यालय की सीमाओ में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।
7. महाविद्यालय में इधर उधर थुकना, दीवालों को गंदा करना, गदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीति दलों, कार्यकताओं अथवा समाचार पत्रों का सकारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

10. छात्र–छात्रायें सदैव अपना महाविद्यालय का परिचय पत्र साथ रखे तथा जब भी आवश्यकता हो प्रस्तुत करे परिचय पत्र न होने की स्थिति में महाविद्यालय में चालू वर्ष की फीस की प्रस्तुत करें।

11. कक्षाओं में अध्यापन के समय बरामदो में न घूमे तथा किसी तरह बाधा न पहुचाये। प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी के लिए आचरण संहिताः–

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमो का अक्षरश : पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

01. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।

02. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

03. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली, गलौच मारपीट नही करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

6. प्रत्येक विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगा अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।

7. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणो का प्रयोग सावधानीकपूर्वक करेगा।

8. महाविद्यालय में पंखें, लाइट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फीटींग की तोड़फोड़ करना दण्डनीय आचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय का अधिकार क्षेत्रः'–

1. यदि छात्र गंभीर अपराध में संलग्न पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
3. यदि विद्यार्थी आवेदन पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में रैगिंग निरोधः–

रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है

कोलाहलपूर्ण, अनुचित व्यवहार करना चिढ़ाना भद्दे या अशिष्ट आचरण करना उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में सलग्न होना जिससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रो से ऐसा कार्य करने के लिए कहना जो छात्र–छात्रा सामान्यता नही कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

रैगिंग में कोई छात्र लिप्ट पाये जाने पर निम्नानुसार दण्ड के प्रावधान हैः–

1. प्रवेश निरस्तुत किया जाना
2. कक्षा/छात्रावास से निश्कासित किया जाना
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परिक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तथा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध
7. संस्था से रेस्टीकेट करना
8. आर्थिक दण्ड 25000/– तक

PROSPECTUS

GOVERNMENT EKLAVYA COLLEGE

DondiLohara , Dalli Rajhara Road, District:Balod, Chhattisgarh, India, PIN:491771

www.gecdl.in

Email: govtcollegelohara@gmail.com, college@gecdl.in

Landline: +91 07748299010

Affiliation: Hemchand Yadav University, Durg, Chhattisgarh, India

Session : 2020-21

प्राचार्य का संदेश .....

मानव संसाधन के विकास और कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा की उपलब्धता आवश्यक हैं। इसके बिना भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और दोहन संभव नहीं हैं। सुदूर आदिवासी अंचलों तथा दुरम्य वन क्षेत्रों उच्च शिक्षा का दीप प्रज्वलित हो रहा है। हमारी यह यात्रा अनवरत जारी है। यह शिक्षण संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है। हमारी ऑखों में भविष्य का एक विराट स्वप्न झिलमिला रहा है। यह शिक्षण संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत हैं।

हमारा लक्ष्य –

01. उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं तक पहुंचाना।
02. आदिवासी बाहुल्य दरु म्य क्षेत्र के लिए भी उच्च शिक्षा सहज सुलभ हो इसके लिए सक्रिय प्रयास करना।
03. विभिन्न सामाजिक वर्ग, आयु, लिंग, भाशा, धर्म, क्षेत्रियता से परे सबको उच्च शिक्षा के सामान अवसर प्रदान करना।
04. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का लक्ष्य निर्धारित करना।
05. जिम्मेदार नागरिक बनाना।

प्राचार्य
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा
जिला–बालोद (छ.ग.)

...महाविद्यालय का इतिहास...

शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौंडी लोहारा की स्थापना वर्ष जुलाई 2006 से की गई है। यह महाविद्यालय राजनांदगांव से दल्लीराजहरा रोड पर 35 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। महाविद्यालय में तीन संकाय है कला, वाणिज्य एवं विज्ञान (बॉयो, माइक्रो बॉयोलाजी व गणित) में स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए. राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास व हिन्दी साहित्य विषय पर अध्ययन की व्यवस्था है। यह महाविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्याल, दुर्ग से संबंध है।

महाविद्यालय में खेल मैदान एवं महाविद्यालय स्वयं का भवन निर्मित है। शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक ईकाई संचालित है।

लक्ष्य एवं उद्देश्यः—

1. छात्र—छात्राओं को सहज एवं कम खर्च में अच्छी शिक्षा प्रदान करना।
2. विद्यार्थियों की लेखन शैली का विकास करना।
3. विद्यार्थियों में लिखित एवं मौखिक सम्प्रेषण कला का विकास करना।
4. महाविद्यालय में विद्यार्थियों को सामाजिक, नैतिक एवं सृजनात्मक गुणों का विकास करना।
5. रोजगार उपलब्ध कराना।
6. सामाजिक समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बनाना।
7. विद्यार्थियों में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों के प्रति विशेष जोर देना।
8. ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा प्रदान करना।

डॉ. आर.के. जैन
प्राचार्य
शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डी—लोहारा
जिला—बालोद, छत्तीसगढ़

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं निर्धारित स्थान महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं विषय

PROGRAMME / COURSE(S) OFFERED

Programme (UG / PG)	Course(s)		Available Seats
UG	B. A	Foundation Course – (Hindi Language, English Language)	200
		Political Science	
		Economics	
		Geography	
		Hindi Literature	
		History	
	B.Sc.	Foundation Course – (Hindi Language, English Language)	100 (70 Bio + 30 Micro)
		Chemistry	
		Botany	
		Zoology	
		Microbiology	
	B.Sc.	Foundation Course – (Hindi Language, English Language)	30
		Mathematics	
		Physics	
		Chemistry	
	B. Com	All Compulsory Subject	60
PG	M.A.	Political Science	25
		History	25
		Hindi	30
		Economics	30

प्रवेश के संबंध में सामान्य दिशा निर्देशः–

1. प्रवेश के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका के नियम लागू होंगे तथा इन नियमों में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन/संशोधन भी लागू होगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों जमा करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा यह सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जावेगी।
3. महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी शासन द्वारा जारी निर्देश प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर ही लागू होगा।
4. किसी भी स्थिति में मूल स्थानांतरण प्रणाम पत्र (टी.सी) के बिना प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
5. प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रवेश लेते समय कक्षा 10वीं से लेकर प्रवेश प्राप्त करने वाली कक्षा के पूर्व कक्षा तक कक्षाओ के प्रमाणित अंक सूचियो एवं चरित्र प्रमाण पत्र व टी.सी. के के साथ दो पासपोर्ट आकार फोटो जमा करना होगा।
6. अन्य विश्वविद्यालय के प्रवेश चाहने वाले छात्रों के प्रकरण पर छात्रों को स्थान रिक्त होने पर विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लाने के पश्चात ही प्रवेश पर विचार किया जा सकेगा।
7. अंतिम तिथि के पश्चात सीट रिक्त होने पर/अगली सूची होने के पूर्व 100/- विलब शुल्क छात्र/छात्राओं को देय होगा।
8. प्रवेश प्राप्ति के उपरांत नये छात्रो को विश्वविद्यालय का नामांकन पत्र अनिवार्य रूप से भरकर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा छात्रों का नियमित प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अमान्य किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय में प्रवेशित नये छात्रो को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने के लिए 75% की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
10. महाविद्यालय में मोबाईल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
11. विद्यार्थी अपना परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राध्यापकों को अवलोकन करावें।
12. छात्रवृत्ति चाहने वाले छात्र सूचना पटल मे प्रदर्शित की अंतिम तिथि के पूर्व अपनी सभी औपचारिकताये पूर्ण कर आवेदन जमा करे।
13. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः पतिबंधित है, रैगिंग में संलग्न पाये गये छात्रों पर निम्नानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। जिसमें सजा एवं महाविद्यालय से निष्काशीत भी किया जा सकता है।
14. महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही छात्र/छात्राओं एवं पाल्य को रैकिंग में संलग्न नहीं होने संबंधी शपथ पत्र नोटरी कराकर जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्तिः–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश कमांक–6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपटित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करनाः–

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अस्थाई प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित, निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओ में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में, पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा इसे प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करनाः–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परीणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये। किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदन ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्याय में नियमानुसार किसी में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा।

आवेदक ''ख'' में स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायो के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जावेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा ''उच्चशिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिनियम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावें। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समुह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समुह का निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची:–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण–पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र ''प्रवेश दिया गया'' रदद् की मोहर लगाकर उसे रदद् करना चाहियें।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण–प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायें।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नही दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो। प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से भी वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र–छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षाः–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मिर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेशः–

(क) 10+2 परीक्षा आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगाा। बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ख) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेशः–

(क) बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/बी0ए0 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एम0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/एम0ए0पूर्व0/प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी0एस0सी0 उत्तीर्ण आवेदकों को एम0एस0–सी/ एम0ए0पूर्व0 में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर नियमित प्रवेश की पात्रता होगीं।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए0टी0के0टी0 **(Allowed to keep Term)** नियमः–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए0टी0के0टी0 (Allowed to keep Term) नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेशः—

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर एवं एल0एल0एम0 प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर एवं एल0एल0एम0 द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सेमेस्टर में भी चालू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमाः—

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 %) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55% अंक पाप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षाः—

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) इंडियन कौन्सिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय का संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNU को छोड़कर) जो दूरदर्शी पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नही है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं. जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कों

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेशः—

7.1 स्नातक स्तर तक बी0ए0 / बी0कॉम0 / बी0एस0सी0 / बी0एच0एस.–सी0 में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु, सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों / विषय समुहों में आवेदकों नें पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावें। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जायें।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाद्यिलयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाद्यिलयों से स्नातकोत्तर पूर्व कह परीक्षा या प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वि" यों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य कि बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंजो का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं प्रायोगिक विशयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाद्यिालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धरित भाुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थाई प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अस्थाई प्रवेश लेना अनिवार्य होनाः–

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में पूरक परीक्षा(कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटीकेटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएंः–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं को उसी संकाय की उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेग, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा भापथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मेंउसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही निम्नानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो न्यायालय में अपारधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नश्ट करने वाले/रैगिंग के आरोप छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकश्त है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं रिपोर्ठ के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जायें।

ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी भाासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावें।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमाः–

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्श में 22 वर्श स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्श में 27 वर्श से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदक आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों विदेश सरकार द्वारा अनुसंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कष्ट महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर प्रथम वर्ष पर 25 एवं स्नातकोत्तर पूर्व प्रथम सेमेस्टर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांक विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्श की छूट रहेगी।

9.5 पूर्वकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10.प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारणः–

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगाः–

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्रान्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बंध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

11.प्रवेश हेतु प्राथमिकताः–

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी, परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी छात्रों के कमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/ उत्तीर्ण नियमित/ भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के कम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के उत्तीर्ण परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसा आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समुह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा किसी एक विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12.आरक्षणः– छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नानुसार रीति से होगा, अर्थात्:–
(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।
परंतु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धा के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

परंतु यह और की पूर्वगामी परंतु में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहॉ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क0–12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा

समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनो वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत् अप्रभावित रहेगी, परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही रहेगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि की प्रवेश दिया जाए ताकि न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

13. अधिभारः–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट्स :–
स्काउट शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावें।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ब'' सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत
(ग) ''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(ड) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0 कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(च) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(छ) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत

(ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ट एन.सी.सी. केडेड — 10 प्रतिशत

(झ) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेड भारत एवं अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0 के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को — 10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्क्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर— — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/ क्विज/ रूपांकन प्रतियोगिताएं:—

(1) लोक शिक्ष्ण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में:—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिका 13.1 में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियागिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए0आई0 यू0 द्वारा आयोजित प्रतियोगिता क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अभवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरेार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :—

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में:—

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को— — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्य को— — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म0प्र0 मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :

(क) छत्तीसगढ़/म0प्र0 का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों कों— — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्याहनः—

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन0सी0सी0/खेलकूद करे प्रोत्साहन देने के लिए एन0सी0सी0 के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलत्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों

को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है कि:–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियो को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुरक्षा दूसरी बार प्राप्त काने के लिए उन्हे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष मे हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिमार हेतु मान्य किये जायेगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एव स्नातकोत्तर द्वितीय मे प्रवेश हेतु पूर्व सत्र प्रमाण–पत्र अधिमार हेतु मान्य होगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तनः–

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परिक्षा के संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुनानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिमार घटे हुये प्राप्ताको पर देय होगा। महाविद्यालय मे स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष मे एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरन संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावया की अतिम तिथि से 15 दिनो जक दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियो को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध पत्रः–

शासकीय महाविद्यालयो मे पी0एच0डी0 के शोध छात्रो को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपर वाइजर की अनुशंसा कर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेगे। छात्र निर्धारित आवेदन करेगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्रों के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइमर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ठ प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय मे पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थातरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था मे अपना शोध कार्य चालू रख सकते है जहा से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेषः–

16.1 जाली प्रमाण–पत्रो, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य पर होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना कि बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिभार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कण्डिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्याार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उरसे निष्कासित करने का अधिभार प्राचार्य का होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थियों का महाविद्यालय छोड़ने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि कि अतिरिक्त अन्स कोई शुल्क वापिय नही किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिध्दांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शक आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जायें।

16.6 इन मार्गदर्शक सिध्दांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिभार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शन सिध्दांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपुर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अनुशासन तथा उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियमः–

क. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश क. 7 की धारा 13 अनुसार महाविद्यालय के छात्रों द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है! अनुशासन के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रवाधान है (1) निलंबन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक (4) रेस्टीगेशन।

ख. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश कमांक 6 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय) छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75% उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जावेगा।

महाविद्यालय कार्यालय में आवेदन पत्र पहुचने की अंतिम तिथि :–

विभिन्न कक्षाओं में पत्रों प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि का निर्धारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन पूर्व लगाई जावेगी। अतः छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निरंतर महाविद्यालय के सूचना पटल का अवलोकन करते रहे एवं निर्देशानुसार आपूर्तियां पूरी की जावेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र–

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मुल प्रति) 2. अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि 3. चरित्र प्रमाण पत्र जिन छात्रों ने निजी परीक्षार्थी के रूप में विगत परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा गैप प्रमाण पत्र 4. अन्य राज्यों/विश्वविद्यालयों से आये प्रवेशार्थियों के लिए संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण

पत्र 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़ा जाति, विकलां छात्र। म.प्र. शासन के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र (निर्धरित प्रारूप में)

6. अन्य प्रमाण पत्र (क्रीड़ा एन.सी.सी. आदि) जो वांछित हो। विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पुर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना सुची के आवेदन पत्र नही किये जा सकेंगे। 7. आधार कार्ड की सत्यप्रतिलिपि 8. बैंक खाते के पास बुक में प्रथम पृष्ठ की सत्यप्रतिलिपि

पुस्तकालय

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाभप्रद पुस्तके है। जिसमें स्नातक कक्षा के विद्यार्थी लाभांवित होते है। महाविद्यालय द्वारा कई प्रमुख समाचार पत्र साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएँ मँगवाई जाती है। महाविद्यालय में वाचनालय कक्ष (रीडिंग रूम) है। जिसके प्रतिदिन खुलने का समय सत्र प्रारंभ में सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की सुरक्षा है। पुस्तके लेते समय अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होगा।

पुस्तकालय का सामान्य नियम–

1. स्नातक कक्षा के छात्र एक समय में पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए एक प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार पुस्तकालय से पुस्तकों का लेन–देन करना होगा।
2. छात्रों को चाहिए कि पुस्तके निर्गमित कराते समय वे पुस्तकों का सावधानीकपूर्वक निरीक्षण कर ले और पुस्तको के पृष्ठ कटें– फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रंथपाल/सहायक ग्रन्थालय को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा ले।
3. पुस्तकालय की पुस्तको में लिखना/रेखांकित करना/पृष्ठ निकालना या किसी की क्षति पहुंचाना दण्डनीय है।
4. पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों की परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व वापस किया जाना आवश्यक होता है किन्तु जिन छात्रों जिन छात्रों को पुस्तके नही लौटानी हो वे अवधान हो वे अवधान राशि एवं तत्संबधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तके परीक्षा समाप्ति तक अपने पास रख सकते है। अवधान राशि पुस्तके जमा करने पर वापस लौटी दी जावेगी।
5. छात्र–छात्राओ को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सुचनाओं से स्वतः अवगत होते रहें।

शुल्क विवरण

महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र को जो शुल्क देना होगा वे निम्नलिखित है:–

शिक्षण शुल्क जुलाई से मार्च (प्रति सत्र)		शिक्षण शुल्क जुलाई से मार्च (प्रति सत्र)	
स्नातक (बी.एस.सी.)	115.00	छात्र कामन रूम (ग्रंथालय शुल्क)	20.00
बी.ए./बी.कॉम.	115.00	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00
प्रायोगिक शुल्क	20.00	शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
प्रवेश शुल्क	3.00	सायकल स्टैन्ड शुल्क	15.00
स्टेशनरी	2.00	छात्र संघ शुल्क	2.00
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5.00	चिकित्सा शुल्क	3.00
परिचय पत्र	5.00	जनभागीदारी शुल्क (स्नातक)	300.00
महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00	परीक्षा शुल्क वि.वि द्वारा अलग से निर्धारित होगा युनिट टेस्ट के लिए स्टेशनरी व्यय	50.00
सम्मिलित निधि शुल्क	32.00		
वार्षिक उत्सव	5.00		
नामांकन शुल्क	150.00		
अप्रवासन शुल्क	220.00		
धरोहर राशि (स्नातक)	60.00		

विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित (विज्ञान/गृहविज्ञान मात्र के लिए) अन्य राज्यो/विश्वविद्यालय से आये छात्रो के लिए 220.00 अप्रवासन शुल्क देय होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश विलंब शुल्क अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा।

स. कॉंशनमनी – प्रत्येक नये छात्र–छात्राओं को प्रवेश के समय निम्नलिखित सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्यः– (1) स्नातक स्तर पर 60.00 2. स्नातकोत्तर पर स्तर पर 100.00

अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षा संबंधी नियमः–

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की अधिसुचना कमांक 198/अति.संचा/3/38, भोपाल दिनाँक 17 मई 1988 के अंतर्गत बी.ए./ बी.एस.सी. की प्रायोगिक कक्षा में प्रवेश पाने वाले अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के प्रवेश नियमित छात्रों के प्रवेश के साथ होंगे। अब प्रत्येक सत्र मे यह अतिरिक्त महाविद्यालयीन सत्रारंभ से 6 माह के लिए होगी। तदनुसार शुल्क भी अब 6 माह के लिए लिया जावेगा। ऐसे महाविद्यालयीन छात्र/छात्राए प्रायवेट श्रेणी के अंतर्गत महाविद्यालय का प्रवेश फॉर्म भरेंगे तथा प्रवेश पाने पर निर्धारित शुल्क जमा करेंगे। निर्धारित शुल्क की सूचना तथा प्रवेश सूची अलग से यथासमय सूचित की जावेगी। अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के 6 माह प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थित होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। स्वाध्यायी आवेदको को केवल बी.ए./ बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रायोगिक सुविधा मिलेगी।

अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं हेतु अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए शुल्क विवरणः–

शासकीय शुल्क	–	20.00
विज्ञान विषयों के लिए	–	60.00 (प्रत्येक विषय हेतु)
भूगोल	–	60.00
अध्यापन शुल्क	–	60.00
सुरक्षा निधि राशि	–	60.00 (स्नातक) 100.00 (एम.ए.)
महाविद्यालय विकास शुल्क	–	25.00
सायकल स्टैण्ड शुल्क	–	15.00
जनभागीदारी शुल्क (कला संकाय)	–	300.00
जनभागीदारी शुल्क (विज्ञान संकाय)	–	300.00

महाविद्यालय छोड़ते समय उक्त सुरक्षा निधि की राशि अदेयता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कारने पर लौटा दिया जाएगा, किन्तु राशि प्राप्त करने हेतु मुल रसीद जिसके द्वारा काशनमनी जमा है, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि माह में 15 तारीख को रविवार हो अथवा अवकाश हो तो ऐसी स्थिति में शुल्क का भुगतान 14 तारीख तक कर देना होगा।

टीपः– (1) शिक्षण शुल्क प्रवेश शुल्क के साथ एक मुश्त देय होगा। (2) यदि कोई आवेदक प्रवेश के निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नही करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा। (3) महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के पश्चात् प्रत्येक छात्र–छात्राओं को प्रवेश को प्रवेश पत्र दिया जावेगा। (4) प्रवेश शुल्क जमा करने के समय आवेदक को पासपोर्ट साईज फोटो दो प्रतियो में जमा करना अनिवार्य है। (5) परीक्षा संबंधी नियम की कंडिका क्रमांक 1 के तहत प्रवेशित प्रत्येक छात्र–छात्राओं को युनिट टेस्ट के लिये रूपये 50.00, स्टेशनरी व्यय के लिये जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि प्रवेश शुल्क के शुल्क के साथ ही देय होगा।

अमानत राशि प्राप्त करने के नियमः–

1. अमानत राशि मिलने के लिए आवेदन पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में 10 दिन पूर्व जमा करना होगा।
2. विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अन्दर राशि वापस करने हेतु आवेदन देना होगा। तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर अमानत राशि निम्नानुसार राजसात हो जायेगी।
3. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण–पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के पश्चात राशि दी जायेगी।
4. परिचय पत्र एवं रसीद के अभाव में धरोहर राशि का भुगतान नही किया जायेगी।

शुल्क संबंधी रियायतेंः–

शुल्क संबंधी निम्नलिखित रियासतें केवल पूर्णकालीन (फुलटाईम) छात्रों को ही मिल सकेगी। इसके अन्तर्गत केवल शिक्षण शुल्क में रियासतें दी जाती है। इस नियम के अधीन निम्नलिखत रियायतें मिलती है।

क्र. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रियासतें : – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है। किन्तु अन्य समस्त शुल्क उन्हें देने होंगे इसके लिए जिलाधीश से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ख. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियो (परिवार के अन्य सदस्य नहीं) शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है व अन्य समस्त शुल्क उन्हें पूरे देने होंगे।

यह रियायत छात्र को जिस कार्यालय में उसके पिता या माता सेवारत हो उसे कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी की प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकेगी। मध्यप्रदेश भाासन उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञापन क. 1607/1886/बजट 86 भोपाल दिनांक 6.5.86 के अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य के ऐसे द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी जो चौधरी वेतमान में रू. 1450/– तक वंतन प्राप्त कर रहे हैं उनके बच्चों को शिक्षण शुल्क से छुट राज्य शासन के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के समान इस विभाग के ज्ञापन कमांक 2246/3236/बी–9/72 दिनांक 4.5.73 सहपठित ज्ञापन 2646/3909/बी–9–73 दिनांक 10.8.73 में उल्लेखित भर्ती के अनुसार रहेगी। यह आदेश रहेगी। यह आदेश 1 जुलाई 86 से प्रभावशाली रहेंगे। जिन द्वितीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा चौधरी वेतनमान स्वीकार नही किया गया है व उनके बच्चो के संबंध में शिक्षण शुल्क में छुट पूर्व आदेशों के अनुसाार ही रहेगी।

ग. बहन–भाई होने के कारण सुविधा– यदि दो या इससे अधिक भाई इस विद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते है तो उनमें से सबसे बड़े भाई को पूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा।

घ. कृषकों के बच्चों को रियायतेः– इस छुट का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित को जिलाधीश अथवा सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में एक तिहाई की छुट प्रदान की जा सकेगी जिनके पिता की वार्षिक आय 6000/– से अधिक न हो। शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

प्रवेश सह – शुल्क पत्र एवं उसका उपयोगः–

छात्र को भाुल्क भुगतान करते यमय प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रों के हित मे है कि वे कार्यालय में शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की जॉच अच्छी तरह से कर ली प्रवेश पत्र में संबंधित प्रविष्टियॉ की गई है तथा शुल्क संग्राहक लिपिक के द्वारा हस्ताक्षरित भी हुई है। मूल प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्रों को दंडात्मक 40.00 रू. शुल्क जमा कर प्रवेश पत्र द्वितीय प्रति (डूप्लीकेट) प्राप्त करना होगा।

अन्य सुविधाएँः–

क. पुस्तकालयः– महाविद्यालय में वाचनालय की सुविधा है। छात्रों को एक बार में एक माह की अवधि के लिए एक पुस्तक निर्गमित की जाती है। पुस्तकालय में पाठ्यकम की पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए विविध श्रेणी की पुस्तकें है। पुस्तकालय का संचालन पुस्तकालय पहचान पत्र में दिये गये नियमों के अधिन होता है। पुस्तकालय में लगभग 1500 पुस्तके उपलब्ध है साथ ही कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ भी उपलब्ध है।

ख. बुक बैकः– इससे अंतर्गत छात्रों/नागरिकों द्वारा दान में प्रदत्त पुस्तके जमा की जाती है। शासन द्वारा बी.पी.एल. बुक बैक योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीच जीवन यापन करने वालो को उपलब्ध कराई जाती है।

ग. अनुजाति/अनुजनजाति/पिछड़ा वर्ग सहायता योजनाः–शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से चयनित पुस्तके तथा लेखन सामग्री इसके अंतर्गत इस वर्ग के छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है।

घ. छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाः– भारत शासन तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अनेक प्रकार छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया है।

ङ. छात्रवृत्तियों की व्यवस्थाः– भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार छात्रवृत्तियॉ दी जाती है

1. एकीकृत छात्रवृत्ति
2. अनुजाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु शासन के निर्देशानुसार
3. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति

परिचय पत्र एवं उनका उपयोगः–

परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही महाविद्यालय पुस्तकालय से पुस्तकें छात्र को दी जावेगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र समय अथवा सुरक्षित निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र करना होगा। अतएव सभी छात्र अपने परिचय पत्र सावधानी के साथ रखें।

शिक्षक अभिवाभक योजना :–

शिक्षक अभिवाभक योजना के अंतर्गत छात्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु महाविद्यालयो के शिक्षकों को छात्रों के अभिभावकों की भूमिका दी जाती है। छात्रों की शैक्षिणक प्रगति, अभिरूचि, उपस्थिति एवं शैक्षिणोत्तर गतिविधियों की जानकारी लेकर अभिलेख तैयार किया जाता है जिससें छात्रो के समन्वित विकास का कार्य किया जा सके। प्रवेश के समय छात्रों को अपना शिक्षक अभिवावक अभिलेख भरकर प्रवेश प्रभारियो के पास जमा करना होगा। शिक्षक अभिलेख का प्रारूप प्रवेश फार्म के साथ संलग्न है।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्रः–

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानो में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यो को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर उसके पालक या अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।
6. महाविद्यालय की सीमाओ में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।
7. महाविद्यालय में इधर उधर थुकना, दीवालों को गंदा करना, गदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीति दलों, कार्यकताओं अथवा समाचार पत्रों का सकारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

10. छात्र–छात्रायें सदैव अपना महाविद्यालय का परिचय पत्र साथ रखे तथा जब भी आवश्यकता हो प्रस्तुत करे परिचय पत्र न होने की स्थिति में महाविद्यालय में चालू वर्ष की फीस की प्रस्तुत करें।

11. कक्षाओं में अध्यापन के समय बरामदो में न घूमे तथा किसी तरह बाधा न पहुचाये। प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी के लिए आचरण संहिताः–

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमो का अक्षरश : पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

01. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।

02. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

03. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली, गलौच मारपीट नही करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

6. प्रत्येक विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगा अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।

7. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणो का प्रयोग सावधानीकपूर्वक करेगा।

8. महाविद्यालय में पंखें, लाइट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फीटींग की तोड़फोड़ करना दण्डनीय आचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय का अधिकार क्षेत्रः'–

1. यदि छात्र गंभीर अपराध में संलग्न पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
3. यदि विद्यार्थी आवेदन पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में रैगिंग निरोधः–

रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है

कोलाहलपूर्ण, अनुचित व्यवहार करना चिढ़ाना भद्दे या अशिष्ट आचरण करना उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में सलग्न होना जिससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रो से ऐसा कार्य करने के लिए कहना जो छात्र–छात्रा सामान्यता नही कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

रैगिंग में कोई छात्र लिप्ट पाये जाने पर निम्नानुसार दण्ड के प्रावधान हैः–

1. प्रवेश निरस्तुत किया जाना
2. कक्षा/छात्रावास से निश्कासित किया जाना
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परिक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तथा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध
7. संस्था से रेस्टीकेट करना
8. आर्थिक दण्ड 25000/– तक

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूचीः–

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
शैक्षणिकः		
1.	डॉ. आर. के. जैन	प्रभारी प्राचार्य/सहायक प्राध्यापक
2.	श्री राजू लाल कोसरे	सहायक प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र)
3.	श्री कृष्णा राम भुआर्य	सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
4.	डॉ. यास्मीन फातिमा परवेज	सहायक प्राध्यापक (रसायनशास्त्र)

अशैक्षणिकः		
1	श्रीमती किरण कोरान्ने	सहायक ग्रेड–2
2	श्री योगेश कुमार चुरेन्द्र	सहायक ग्रेड–3
3	श्री अरविंद कुमार गुप्ता	प्रयोगशाला तकनीशियन
4	श्री दिनेश कुमार साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन
5	श्री नेमेन्द्र कुमार चन्द्राकर	प्रयोगशाला परिचारक
6	श्री ईश्वर लाल मानकर	भृत्य
7	श्री घनश्याम सिंह	भृत्य
8	श्री लालू राम फरसिंद	भृत्य (जनभागीदारी)
9	श्री योगेश कुमार कुल्हरिय	कम्प्यूटर ऑपरेटर (जनभागीदारी)